"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258] रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 अप्रैल 2022 — चैत्र 16, शक 1944

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 अप्रैल 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–8/2018/38–2. – छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्र. 967/विविध/171(सी)/2018/16582, दिनांक 09–02–2022 द्वारा श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, शदानी दरबार के पास, ग्राम–धनेली, पोस्ट ऑफिस–माना, धमतरी रोड, तहसील एवं जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) के संशोधित परिनियम क्रमांक 12 एवं अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 55, 56, 65, 66, 71, 73, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 एवं 135 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत् किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त परिनियम एवं अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति संबंधित विभाग एवं नियामक/सांविधिक अभिकरण से अनुमति प्राप्त किये जाने की शर्त पर प्रदान की जाती है.

3. उपरोक्त परिनियम एवं अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

प्रथम परिनियम में प्रस्तावित संशोधन

पारित किए गए प्रथम परिनियम के सरल क्र.12 में विभिन्न संकायों से संबंधित प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित हैं।

सं. क्रं. 1	संख्या क्रं./ मामला क्रं. 2	संकाय का नाम 3		विषय या विभाग 4	संशोधन का कारण 5
		मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन		
1	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	विज्ञान संकाय	–	1. कंप्यूटर विज्ञान	नयेपाठ्यक्रम जोड़ा जाना है
2	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	प्रबंधन संकाय	–	1. सोशल मीडिया मार्केटिंग 2. ग्रामीण विकास 3. आग और सुरक्षा प्रबंधन 4. गृह व्यवस्था 5. प्राथमिक कार्यालय 6. खाद्य और पेय 7. खाद्य उत्पादन	नयेपाठ्यक्रम जोड़ा जाना है
4	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	इंजीनियरिंग संकाय	–	1. बिग डेटा एनालिटिक्स 2. नेटवर्किंग और इंटरनेट सुरक्षा 3. परिवहन इंजीनियरिंग 4. अर्बन एंड टाउन प्लानिंग इंजीनियरिंग	नयेपाठ्यक्रम जोड़ा जाना है
5	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	कला संकाय	–	1. फोटोग्राफी 2. सिनेमा 3. अभिनय 4. टीवी पत्रकारिता और जनसंचार 5. विज्ञापन और ब्रांड संचार 6. फैशन डिजाइन 7. फैशन कम्युनिकेशन 8. 3 डी एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स 9. एनीमेशन 10. दृश्य प्रभाव	नयेपाठ्यक्रम जोड़ा जाना है

सं. क्रं. 1	संख्या क्रं../ मामला क्रं. 2	संकाय का नाम 3		विषय या विभाग 4	संशोधन का कारण 5
		मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन		
6	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	होटल प्रबंधन संकाय	—	1. खाद्य प्रौद्योगिकी	नयेपाठ्यक्रम जोड़ा जाना है
7	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	फैशन डिजाइन संकाय्रं		1. आभूषण डिजाइन 2. परिधान मर्कैंडाइजिंग 3. ड्रैपिंग और सिलाई 4. ग्राफिक डिजाइन	नयेपाठ्यक्रम जोड़ा जाना है
8	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	—	स्वास्थ्य और विज्ञान संबन्धी संकाय	1. मेडिकल एनाटॉमी 2. चिकित्सा जैव रसायन 3. मेडिकल माइक्रोबायलॉजी 4. मेडिकल फार्माकोलॉजी 5. सार्वजनिक स्वास्थ्य 6. अस्पताल प्रशासन 7. मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 8. जैव प्रौद्योगिकी 9. प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान 10. आप्टोमैट्री 11. व्यावसायिक चिकित्सा 12. फार्मेसी (आयुर्वेद) 13. पंचकर्म 14. सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामुदायिक पोषण 15. दुर्घटना और आपातकालीन देखभाल प्रौद्योगिकी 16. कार्डिएक टेक्नोलॉजी 17. कार्डियो पल्मोनरी परफ्यूजन केयर टेक्नोलॉजी 18. क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी	नये पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है

सं. क्रं. 1	संख्या क्रं../ मामला क्रं. 2	संकाय का नाम 3		विषय या विभाग 4	संशोधन का कारण 5
		मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन		
8	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	–	स्वास्थ्य और विज्ञान संबन्धी संकाय	19. चिकित्सा अभिलेख 20. डायलिसिस तकनीक 21. चिकित्सा समाजशास्त्र 22. न्यूरो साइंस टेक्नोलॉजी 23. परमाणु चिकित्सा प्रौद्योगिकी 24. ऑपरेशन थिएटर और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी 25. फिजियोथेरेपी 26. प्रोस्थेटिक्स और ओर्थोटिक्स 27. गहन देखभाल प्रौद्योगिकी 28. मधुमेह विज्ञान 29. इकोकार्डियोग्राफीप्रौद्योगिकी 30. न्यूरो इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी 31. ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी 32. ऑडियोलॉजी और स्पीच पैथोलॉजी 33. इमेजिंग तकनीक 34. छिड़काव प्रौद्योगिकी 35. रेडियो थेरेपी 36. गुर्दे की डायलिसिस तकनीक 37. रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी 38. उपचर्या 39. ट्रामा केयर प्रबंधन 40. नैदानिक सामाजिक कार्य 41. नैदानिक मनोविज्ञान 42. जैव सांख्यिकी	नये पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है

सं. क्रं. 1	संख्या क्रं../ मामला क्रं. 2	संकाय का नाम 3		विषय या विभाग 4	संशोधन का कारण 5
		मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन		
8	परिनियम के सरलक्रं. 12 में संशोधन	–	स्वास्थ्य और विज्ञान संबन्धी संकाय	43. ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी 44. जैवनैतिकता 45. रोग विषयक पोषण 46. आनुवांशिक परामर्श 47. अस्पताल और स्वास्थ्य प्रणाली प्रबंधन 48. मानव जेनेटिक्स 49. चिकित्सा भौतिकी 50. आणविक विषाणु विज्ञान 51. माइक्रोबियल आणविक जीवविज्ञान (मूल चिकित्सा विज्ञान) 52. मनोरोग सामाजिक कार्य 53. पुनर्योजी चिकित्सा 54. रेडियोलॉजी और इमेजिंग प्रौद्योगिकी 55. खेल और फिटनेस पोषण 56. सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्यमिता (डी पी एच इ) 57. सीखने की विकलांगता 58. स्वास्थ्य संवर्धन और शिक्षा 59. आपातकालीन चिकित्सा प्रौद्योगिकी 60. चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी 61. वार्ड प्रशासन 62. रेडियोलॉजी और इमेजिंग प्रौद्योगिकी 63. श्रवण शाब्दीक थेरेपी 64. जैव सूचना विज्ञान 65. खेल और फिटनेस में जैव यांत्रिकी और कीनेसिओलॉजी	नये पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है

सं. क्रं. 1	संख्या क्रं../ मामला क्रं. 2	संकाय का नाम 3		विषय या विभाग 4	संशोधन का कारण 5
		मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन		
9	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	–	शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण संकाय	1. प्राथमिक शिक्षक शिक्षा 2. शारीरिक शिक्षा 3. पूर्व विद्यालयी शिक्षा 4. बचपन की शिक्षा 5. प्राथमिक शिक्षा 6. कला शिक्षा (विजुअल आर्ट्स) 7. कला शिक्षा (प्रदर्शन कला) 8. फिटनेस प्रबंधन 9. खेल प्रबंधन 10. शारिरीक शिक्षा और खेल 11. प्राथमिक स्कूल शिक्षा 12. ललित कला शिक्षा 13. ऑडियो विजुअल टीचिंग 14. हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा 15. व्यायाम प्रशिक्षक	नये पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है
10	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	–	विधि संकाय	1. अंतर्राष्ट्रीय कानून 2. साइबर कानून 3. मानवाधिकार 4. बौद्धिक संपदा अधिकार 5. मीडिया और मनोरंजन 6. व्यापार कानून 7. संवैधानिक कानून 8. अपराधिक कानून परिवार कानून 9. परिवार कानून 10. संपत्ति के अधिकार 11. कानूनी निति शास्त्र	नये पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है

सं. क्रं. 1	संख्या क्रं../ मामला क्रं. 2	संकाय का नाम 3		विषय या विभाग 4	संशोधन का कारण 5
		मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन		
11	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	—	व्यावसायिक शिक्षा / कौशल विकास के संकाय व्यावसायिक	1. दुर्घटना और आपातकालीन देखभाल प्रौद्योगिकी 2. लेखा और लेखा परीक्षा 3. एक्यूपंक्चर 4. अग्रिम ब्यूटीशियन 5. एडवांस टेलरिंग 6. कृषि 7. एनेस्थीसिया तकनीक 8. एंजियोग्राफी तकनीक 9. पशु संचारित रोग शिक्षा 10. आर्किटेक्चर 11. सहायक फिजियोथेरेपिस्ट 12. ऑडियोलॉजी और स्पीच पैथोलॉजी 13. ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी 14. ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 15. सहायक नर्स और मिडवाइफरी 16. आयुर्वेदिक चिकित्सा और सर्जरी 17. बेकरी और कन्फेक्शनरी 18. बैंकिंग 19. बेसिक ब्यूटीशियन 20. बेसिक कंप्यूटर 21. बेसिक टेलरिंग 22. सौंदर्य और कल्याण जैविक कृषि 23. ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी 24. बुटीक प्रबंधक 25. कार्डिएक केयर	नये पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है

सं. क्रं. 1	संख्या क्रं../ मामला क्रं. 2	संकाय का नाम 3		विषय या विभाग 4	संशोधन का कारण 5
		मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन		
11	परिनियम के सरलक्रं. 12 में संशोधन	—	शिक्षा / कौशल विकास के संकाय व्यावसायिक	टेक्नोलॉजी 26. कार्डियक पल्मोनरी परफ्यूजन 27. खानपान प्रबंधन 28. कैथलैब प्रौद्योगिकी 29. चॉकलेट बनाना और केक बनाना 30. संचार और प्रस्तुति कौशल 31. सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल 32. सामुदायिक चिकित्सा सेवा और ईडी (आवश्यक दवाएं) 33. कंप्यूटर हार्डवेयर 34. विनिर्माण तकनीक 35. पाकशास्त्र 36. कॉस्मेटिक और लाइफस्टाइल उत्पाद डिजाइनिंग 37. क्राफ्ट कोर्स इन फूड 38. ग्राहक सेवा कार्यकारी (कॉल सेंटर) 39. डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी 40. अंध कक्ष 41. डाटाएण्ट्री आपरेटर 42. डेंटल टेक्नोलॉजी 43. डायबिटीज एजुकेटर 44. डायलिसिस तकनीक 45. डिजिटल आर्ट्स एंड एनिमेशन 46. दवा और फार्मेसी (ड्रग एण्ड फार्मेसी)	नये पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है

सं. क्रं. 1	संख्या क्रं../ मामला क्रं. 2	संकाय का नाम 3		विषय या विभाग 4	संशोधन का कारण 5
		मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन		
11	परिनियम के सरलक्रं. 12 में संशोधन	–	शिक्षा / कौशल विकास के संकाय व्यावसायिक	47. डी टी पी (डेस्क टॉप पब्लिशिंग) 48. ड्यूटी मैनेजर – रोगी संबंध सेवाएं 49. ई–कॉमर्स (इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स) 50. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक 51. इलेक्ट्रॉनिक्स (माइक्रोप्रोसेसर) 52. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी 53. इमर्जेंसी मेडिकल टेकनीशियन 54. अंग्रेजी संचार कौशल 55. इवेंट मैनेजमेंट 56. फैशन प्रौद्योगिकी और परिधान डिजाइन 57. फैशन डिजाइन 58. वित्तीय बाजार 59. खाद्यप्रौद्योगिकी और पेय सेवाएँ 60. फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता 61. प्राथमिक कार्यालय सहायक 62. सामान्य कर्तव्यसहायक 63. जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) एनेस्थीसिया 64. भू स्थानिक प्रौद्योगिकी 65. जेरिएट्रिक एंड हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क समन्वयक 66. ग्राफिक और मल्टीमीडिया 67. केस और त्वचा की देखभाल ब्यूटीशियन	नये पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है

सं. क्रं. 1	संख्या क्रं../ मामला क्रं. 2	संकाय का नाम 3		विषय या विभाग 4	संशोधन का कारण 5
		मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन		
11	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	–	शिक्षा / कौशल विकास के संकाय व्यावसायिक	68. हाथ और कुष्ठ भौतिकी चिकित्सा प्रौद्योगिकी 69. हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच एक्स–रे टेक्नोलॉजी 70. हेल्पर मेसन 71. हर्बल दवा 72. हिस्टोटेक्निशन 73. एचआईवी (मानव प्रतिरक्षा) वायरस और परिवार शिक्षा 74. घर पर आधारित स्वास्थ्य देखभाल 75. गृह प्रबंध 76. मानव पोषण 77. आईसीयू (गहन चिकित्सा इकाई) 78. इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी 79. गहने बनाना 80. चमड़ा प्रौद्योगिकी 81. चमड़ा प्रौद्योगिकी (जूते) 82. जीवन बीमा 83. जीवन शैली रोग शिक्षा 84. पुरुष वार्ड बॉय 85. औद्योगिक उपकरण विनिर्माण प्रौद्योगिकी 86. चिकित्सा देखभाल 87. चिकित्सा उपकरण प्रौद्योगिकी (मूल नैदानिक उपकरण) 88. मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी 89. चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी 90. चिकित्सा विपणन	नये पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है

सं. क्रं. 1	संख्या क्रं../ मामला क्रं. 2	संकाय का नाम 3		विषय या विभाग 4	संशोधन का कारण 5
		मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन		
11	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	–	शिक्षा / कौशल विकास के संकाय व्यावसायिक	91. मेडिकल रिकॉर्ड विज्ञान 92. चिकित्सा सचिवीय सेवा 93. चिकित्सा समाजशास्त्र 94. मेडिकल स्टोर प्रबंधन 95. मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट विश्लेषण 96. मेहंदी 97. मानसिक पुनर्वास 98. सूक्ष्म बुनाई 99. मोबाइल रिपेयरिंग 100. मोंटेसरी और किड्स अकादमी 101. इंजिन का मिस्त्री 102. मोटर रिवाइंडिंग 103. बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एम् पी एच डब्लू) 104. संगीत तकनीकी उत्पादन 105. प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान 106. न्यूरो टेक्नोलॉजी 107. नर्सिंग सहयोगी 108. पोषण और बाल देखभाल 109. पोषण और आहार 110. कार्यालय प्रबंधन 111. कार्यालय सचिव 112. संचालन थियेटर सहायक 113. ऑप्टिशियन और अपवर्तनवादी 114. ऑप्टोमेट्री और नेत्र तकनीक 115. पेपर प्लेट और दोना	नये पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है

सं. क्रं. 1	संख्या क्रं../ मामला क्रं. 2	संकाय का नाम 3		विषय या विभाग 4	संशोधन का कारण 5
		मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन		
11	परिनियम के सरलक्रं. 12 में संशोधन	—	शिक्षा / कौशल विकास के संकाय व्यावसायिक	बनाना 116. विकृति विज्ञान सहयोगी 117. रोगी देखभाल सहायक 118. फार्मेसी सहायक 119. फिजिशियन मूल्यांकन 120. होटल रिसेप्शन और बुक कीपिंग 121. फिजियोलॉजिस्ट पर्सनल असिस्टेंट 122. मुर्गी पालन 123. प्रधान मंत्री आरोग्य मित्र 124. मुद्रण और पैकेजिंग 125. मुद्रण और प्रकाशन 126. आरएसी (प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग) 127. रेडियो इमेजिंग तकनीक 128. रेडियो थेरेपी 129. रिफ्रक्शनिस्ट 130. रेडियोलॉजी टेकनिशियन 131. रेस्तरां और काउंटर सेवा 132. खुदरा बिक्री 133. ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल 134. बिक्री सलाहकार 135. स्वच्छता निरीक्षक प्रशिक्षण 136. सॉफ्टवेयर विकास 137. मृदा और जल प्रबंधन 138. पैरामेडिकल हेल्थ केयर 139. भाषण ऑडियो थेरेपी सहायक 140. आडियों विजुवल टिचिंग 141. आशुलिपि और कंप्यूटर	नये पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है

सं. क्रं. 1	संख्या क्रं../ मामला क्रं. 2	संकाय का नाम 3		विषय या विभाग 4	संशोधन का कारण 5
		मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन		
11	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	–	शिक्षा / कौशल विकास के संकाय व्यावसायिक	अनुप्रयोग 142. टैली (कुल लेखा प्रमुख सूची वर्ष) 143. तकनीकी और विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान 144. कपड़ा प्रसंस्करण 145. कपड़ा प्रौद्योगिकी (बुनना) 146. कपड़ा प्रौद्योगिकी (कताई) 147. कपड़ा प्रौद्योगिकी (बुनाई) 148. परिवहन प्रणाली और रसद प्रबंधन 149. यात्रा एवं पर्यटन 150. टू व्हीलर रिपेयरिंग 151. अल्ट्रा साउंड तकनीशियन 152. संवहनी सर्जरी तकनीशियन 153. विजन टेकनिशियन 154. वायरमैन 155. एक्स – रे तकनीशियन 156. योग 157. इंटिरियर डिजाइन 158. उपचर्या 159. पत्रकारिता एवं जन संचार 160. बैकिंग वित्तीय सेवाएं और बीमा 161. फिल्म आर्ट 162. फूड प्रोसेसिंग (खाद्य प्रंसस्करण 163. फोटोग्राफी एण्ड विडियोग्राफी 164. फिजियोथेरेपी	नये पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है

सं. क्रं. 1	संख्या क्रं../ मामला क्रं. 2	संकाय का नाम 3		विषय या विभाग 4	संशोधन का कारण 5
		मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन		
11	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	—	शिक्षा / कौशल विकास के संकाय	165. योगा एवं नेचर केयर (योग एण्ड प्राकृतिक चिकित्सक) 166. मॉस मीडिया एण्ड फिल्म असिस्टेंट 167. संगीत और प्रदर्शन कला 168. स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन 169. चिकित्सालय प्रबंधन	नये पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है
12	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	—	पुनर्वास विज्ञान संकाय	1. विशेष शिक्षा 2. प्रोस्थेटिक्स और ओर्थोटिक्स 3. ऑडियोलॉजी और भाषण 4. भाषा हिन्दी 5. विकृति विज्ञान 6. पुनर्वास विज्ञान दृष्टि बाधित 7. श्रवण बाधित 8. सीखने की विकलांगता 9. लाक्षणिक मनोविज्ञान 10. आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार 11. बहु विकलांगता 12. पुनर्वास मनोविज्ञान 13. बौद्धिक अक्षमता 14. मानसिक मंदता 15. पायलट आधार पर बहरे अंधे 16. विशेष शिक्षा और पुनर्वास 17. जल्द हस्तक्षेप 18. व्यावसायिक पुनर्वास 19. ऑडियोलॉजी 20. भाषा पैथोलॉजी	नये पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है

सं. क्रं. 1	संख्या क्रं../ मामला क्रं. 2	संकाय का नाम 3		विषय या विभाग 4	संशोधन का कारण 5
		मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन		
12	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	–	पुनर्वास विज्ञान संकाय	21. हियरिंग एड रिपेयरिंग मोल्ड टेक्नोलॉजी 22. लोकोमोटर और सेरेब्रल पाल्सी 23. बाल मार्गदर्शन और परामर्श	नये पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है
13	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	–	ललित कला/ प्रदर्शन कला/ संकाय	1. चित्रकला रेखाचित्र 2. एप्लाइड आर्ट्स 3. आर्ट एंड क्राफ्ट ड्रैमैटिक्स 4. दृश्य संचार 5. पाश्चात्य संगीत 6. भारतीय शास्त्रीय संगीत 7. पश्चात्य नृत्य 8. भारतीय शास्त्रीय नृत्य 9. भारतीय शास्त्रीय गायन 10. सितार 11. तबला 12. मूर्ति कला	नये पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है
14	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	–	संस्कृत साउन्डिंग डिग्रीयॉ संकाय	1. व्याकरण 2. वेदान्त 3. पाली 4. वैदिक साहित्य 5. अद्वेत 6. प्राचीन भारतीय इतिहास	नये पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है
15	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	–	पत्रकारिता/मास कम्युनिकेशन / मीडिया संकाय	1. मीडिया प्रबंधन 2. समाचार संवाददाता 3. मीडिया शोधकर्ता 4. पत्रिका लेखक 5. फोटो पत्रकार 6. जनसंपर्क विशेषज्ञ	नये पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है

सं. क्रं. 1	संख्या क्रं../ मामला क्रं. 2	संकाय का नाम 3		विषय या विभाग 4	संशोधन का कारण 5
		मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन		
15	परिनियम के सरल क्रं. 12 में संशोधन	—	पत्रकारिता / मास कम्युनिकेशन / मीडिया संकाय	7. प्रसारण पत्रकारिता 8. मल्टीमीडिया स्टोरी कवरेज 9. टेलीविजन समाचार लेखन 10. ग्राफिक डिजाइन 11. न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी 12. रेडियो और टेलीविजन संचार रिपोर्टिंग 13. विज्ञापन और जनसंपर्क 14. मीडिया लेखन 15. जनसंपर्क प्रबंधन 16. विज्ञापन और विज्ञापन एजेंसियां 17. उपभोक्ता व्यवहार 18. मीडिया योजना और विज्ञापन अनुसंधान 19. विपणन प्रबंधन। 20. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं पत्रकारिता 21. रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम उत्पादन 22. वेब मीडिया और उत्पादन 23. मीडिया योजना और प्रबंधन 24. पटकथा लेखन 25. व्यावसायिक मीडिया 26. संचार सिद्धांत 27. सार्वजनिक स्वास्थ्य पत्रकारिता 28. खेल पत्रकारिता	नयेपाठ्यक्रम जोड़ा जाना है

अध्यादेश–55		
बैचलर ऑफ आप्टोमेट्री (बी. ऑप्टम)		
सं. क्र.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	बैचलर ऑफ आप्टोमेट्री (बी.औप्टम)
2.	संकाय	हेल्थ एण्ड एलाइड साइंस
3.	अवधि	चार साल के आठ सेमेस्टर। पाठ्यक्रम को पूरा होने के लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां "n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषयों के साथ 10+2 या सुसंगत विषयों के साथ समकक्ष या सुसंगत नियामक निकाय के द्वारा र्निधारित याोग्यता की शर्तो को पूरा करता हो।
5.	पार्श्व प्रवेश	तीसरे सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष) में। उम्मीद्वार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45% (आरक्षित श्रेणी के उम्मीद्वारों के मामले में 40%) अंकों के साथ ऑप्टोमेट्री में डिप्लोमा या सुसंगत विषयों के साथ समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। संबंधित सुसंगत नियामक निकाय (ओसीआई) के मानदण्ड़ों का पालन किया जाएगा।
6.	सीट	मूल इकाई 60 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
7.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
8.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
9.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी

		परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
11.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
12.	**पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
13.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
14.	**मूल्यांकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
16.	**समान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–56		
मास्टर ऑफ आप्टोमेट्री (एम.ऑप्टम)		
स. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	मास्टर ऑफ आप्टोमेट्री (एम.औप्टम)
2.	संकाय	हेल्थ एण्ड एलाइड साइंस
3.	अवधि	दो साल के चार सेमेस्टर। पाठ्यक्रम को पूरा होने के लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां"n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	ऑप्टोमेट्री में स्नातक डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री या जैसा कि संबंधित नियामक निकाय द्वारा निर्धारित किया गया हो।
5.	सीट	मूल इकाई 30 सीटो की होगी, इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को

		अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–65		
बैचलर ऑफ साइंस (बी.एससी.) (कार्डिएक टेक्नोलॉजी/मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी/मेडिकल फॉर्मोकोलॉजी/पब्लिक हेल्थ या परिनियम 12(8) में वर्णित विषयों के अनुसार)		
स. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	बैचलर ऑफ साइंस (बी.एससी.) (कार्डिएक टेक्नोलॉजी/ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी/ मेडिकल फॉर्मोकोलॉजी/पब्लिक हेल्थ या परिनियम 12(8) में वर्णित विषयों के अनुसार)
2.	संकाय	हेल्थ एण्ड एलाइड साइंस
3.	अवधि	तीन साल के छः सेमेस्टर। पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां"n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 10+2 या संबंधित विषयों के साथ समकक्ष या सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार।
5.	सीट	मूल इकाई 60 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	पार्श्व प्रवेश	उम्मीदवार को कम से कम 45% (आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिये 40%) के साथ आलाइड हेल्थ साइंस के विषय में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उत्तीर्ण या सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार ।
7.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
8.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
9.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को

		विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
11.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
12.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
13.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
14.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**पूरक/ए.टी.के.टीपात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
16.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी।

		ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–66		
मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी.) (कार्डिएक टेक्नोलॉजी/मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी/मेडिकल फॉर्मोकोलॉजी/पब्लिक हेल्थ या परिनियम 12(8) में वर्णित विषयों के अनुसार)		
स. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी.) (कार्डिएक टेक्नोलॉजी/मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी/मेडिकल फॉर्मोकोलॉजी/पब्लिक हेल्थ या परिनियम 12(8) में वर्णित विषयों के अनुसार)
2.	संकाय	हेल्थ एण्ड एलाइड साइंस
3.	अवधि	दो वर्ष के चार सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां"n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय में स्नातक या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों के साथ समकक्ष या सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार।
5.	सीट	मूल इकाई 30 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना

		होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टीपात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों

		से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–71		
बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.)		
स. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.)
2.	संकाय	शिक्षा /अध्यापक प्रशिक्षण
3.	अवधि	दो वर्ष के चार सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां "n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (NCTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष या (NCTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार, जिसमें पश्चात्वर्ती अभिभावी होगा।
5.	सीट	मूल इकाई 50 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

		प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–73		
मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम.एड.)		
स. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम.एड.)
2.	संकाय	शिक्षा /अध्यापक प्रशिक्षण
3.	अवधि	दो वर्ष के चार सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां"n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (NCTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में स्नातक डिग्री या समकक्ष या (NCTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार, जिसमें पश्चात्वर्ती अभिभावी होगा।
5.	सीट	मूल इकाई 50 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

		प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश – 78		
बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बीपीएड)		
सं. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बीपीएड)
2.	संकाय	शिक्षा /अध्यापक प्रशिक्षण
3.	अवधि	दो वर्ष के चार सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां"n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (NCTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष या (NCTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार, जिसमें पश्चात्वर्ती अभिभावी होगा।
5.	सीट	मूल इकाई 50 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से

		संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–81		
बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्टस (बीपीईएस)		
सं. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्टस (बीपीईएस)
2.	संकाय	शिक्षा /अध्यापक प्रशिक्षण
3.	अवधि	तीन वर्ष के छः सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां"n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (NCTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष या (NCTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार, जिसमें पश्चात्वर्ती अभिभावी होगा।
5.	सीट	मूल इकाई 50 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य

		सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–82		
मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्टस (एमपीईएस)		
स. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्टस (एमपीईएस)
2.	संकाय	शिक्षा /अध्यापक प्रशिक्षण
3.	अवधि	दो वर्ष के चार सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहा ‘‘n’’ पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ ‘‘n’’ निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (NCTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष या (NCTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार, जिसमें पश्चात्वर्ती अभिभावी होगा।
5.	सीट	मूल इकाई 50 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को

		अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–83 बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी)		
सं. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी)
2.	संकाय	कानून
3.	अवधि	तीन वर्ष के छः सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां"n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (BCI) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष या (BCI) सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार, जिसमें पश्चात्वर्ती अभिभावी होगा।
5.	सीट	मूल इकाई 60 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को

		अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–84		
मॉस्टर आफॅ लॉ (एल.एल.एम.)		
स. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	मॉस्टर आफॅ लॉ (एल.एल.एम.)
2.	संकाय	कानून
3.	अवधि	दो वर्ष के चार सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां"n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (BCI) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलब या समकक्ष या (BCI) सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार, जिसमें पश्चात्वर्ती अभिभावी होगा।
5.	सीट	मूल इकाई 30 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त

		माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और

		परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–85		
बैचलर ऑफ आर्टस एण्ड बैचलर ऑफ लॉ (इंटीग्रेटेड) (बी.ए.एल.एल.बी.)		
सं. क्र.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	बैचलर ऑफ आर्टस एण्ड बैचलर ऑफ लॉ (इंटीग्रेटेड) (बी.ए.एल.एल.बी.)
2.	संकाय	कानून
3.	अवधि	पांच वर्ष के दस सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां"n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (BCI) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष या (BCI) सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार, जिसमें पश्चात्वर्ती अभिभावी होगा।
5.	सीट	मूल इकाई 60 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को

		अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–86		
बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लॉ (इंटीग्रेटेड) (बी.कॉम एल.एल.बी.)		
स. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लॉ (इंटीग्रेटेड) (बी.कॉम एल.एल.बी.)
2.	संकाय	कानून
3.	अवधि	पांच वर्ष के दस सेमेस्टर। पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहा "n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (BCI) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष या (BCI) सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार, जिसमें पश्चात्वर्ती अभिभावी होगा।
5.	सीट	मूल इकाई 60 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को

		अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–87		
बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ लॉ (इंटीग्रेटेड) (बी.बी.ए.एल.एल.बी.)		
स. क्र.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ लॉ (इंटीग्रेटेड) (बी.बी.ए.एल.एल.बी.)
2.	संकाय	कानून
3.	अवधि	पांच वर्ष के दस सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां"n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (BCI) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष या (BCI) सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार, जिसमें पश्चात्वर्ती अभिभावी होगा।
5.	सीट	मूल इकाई 60 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को

		अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–89		
बैचलर ऑफ वोकेशन (बी.वोक) (पाकशास्त्र/कॉस्मेटिक और लाइफस्टाइल उत्पाद डिजाइनिंग/ क्राफ्ट कोर्स इन फूड/ ग्राहक सेवा कार्यकारी (कॉल सेंटर)/ डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी/ डार्क रूम सहायक/ डाटा एण्ट्री आपरेटर या परिनियम 12(11) में वर्णित विषयों के अनुसार)		
सं. क्र.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	बैचलर ऑफ वोकेशन (बी.वोक) (पाकशास्त्र/कॉस्मेटिक और लाइफस्टाइल उत्पाद डिजाइनिंग/ क्राफ्ट कोर्स इन फूड/ ग्राहक सेवा कार्यकारी (कॉल सेंटर)/ डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी/ डार्क रूम सहायक/ डाटा एण्ट्री आपरेटर या परिनियम 12(11) में वर्णित विषयों के अनुसार)
2.	संकाय	व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास
3.	अवधि	तीन वर्ष के छः सेमेस्टर। पाठ्यक्रम को पूरा होने के लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहा "n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष या सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार।
5.	पार्श्व प्रवेश	उम्मीदवार को कम से कम 45% (आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिये 40%) के साथ वोकेशनमें डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उत्तीर्ण या सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार।
6.	सीट	मूल इकाई 60 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
7.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
8.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
9.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे

		में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
11.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
12.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
13.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
14.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
16.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी।

		ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–90		
मास्टर ऑफ वोकेशन (एम.वोक) (पाकशास्त्र/कॉस्मेटिक और लाइफस्टाइल उत्पाद डिजाइनिंग/ क्राफ्ट कोर्स इन फूड/ ग्राहक सेवा कार्यकारी (कॉल सेंटर)/ डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी/ डार्क रूम सहायक/ डाटा एण्ट्री आपरेटर या परिनियम 12(11) में वर्णित विषयों के अनुसार)		
सं. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	मास्टर ऑफ वोकेशनल (एम.वोक) (पाकशास्त्र/कॉस्मेटिक और लाइफस्टाइल उत्पाद डिजाइनिंग/ क्राफ्ट कोर्स इन फूड/ ग्राहक सेवा कार्यकारी (कॉल सेंटर)/ डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी/ डार्क रूम सहायक/ डाटा एण्ट्री आपरेटर या परिनियम 12(11) में वर्णित विषयों के अनुसार)
2.	संकाय	व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास
3.	अवधि	दो वर्ष के चार सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां"n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी वोक या समकक्ष या सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार।
5.	सीट	मूल इकाई 30 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य

		अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–91		
डिप्लोमा कोर्स (पाकशास्त्र/कॉस्मेटिक और लाइफस्टाइल उत्पाद डिजाइनिंग/ क्राफ्ट कोर्स इन फूड/ ग्राहक सेवा कार्यकारी (कॉल सेंटर)/ डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी/ डार्क रूम सहायक/ डाटा एण्ट्री आपरेटर या परिनियम 12(11) में वर्णित विषयों के अनुसार)		
स. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	डिप्लोमा कोर्स (पाकशास्त्र/कॉस्मेटिक और लाइफस्टाइल उत्पाद डिजाइनिंग/ क्राफ्ट कोर्स इन फूड/ ग्राहक सेवा कार्यकारी (कॉल सेंटर)/ डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी/ डार्क रूम सहायक/ डाटा एण्ट्री आपरेटर या परिनियम 12(11) में वर्णित विषयों के अनुसार)
2.	संकाय	व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास
3.	अवधि	दो वर्ष के चार सेमेस्टर) । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां"n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10+2 या समकक्ष या सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार।
5.	सीट	मूल इकाई 60 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता

		है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–94		
डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (डी.एड.स्पेशल एजुकेशन) (हियरिंग ईम्पेयरमेंट/ इंट्लेक्चुअल डिसेबिलिटी/ मेडिकल रिटारडेशन या परिनियम 12(12) में वर्णित विषयों के अनुसार)		
स. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (डी.एड.स्पेशल एजुकेशन) (हियरिंग ईम्पेयरमेंट/ इंट्लेक्चुअल डिसेबिलिटी/ मेडिकल रिटारडेशन या परिनियम 12(12) में वर्णित विषयों के अनुसार)
2.	संकाय	पुनर्वास विज्ञान
3.	अवधि	दो साल के चार सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां"n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (RCI) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष या (RCI) सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार।
5.	सीट	मूल इकाई 25 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को

		अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–95		
बैचलर ऑफ एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (बी.एड. स्पेशल एजुकेशन) (हियरिंग ईम्पेयरमेंट/ इंट्लेक्चुअल डिसेबिलिटी/ मेडिकल रिटारडेशन या परिनियम 12(12) में वर्णित विषयों के अनुसार)		
स. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	बैचलर ऑफ एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (बी.एड. स्पेशल एजुकेशन) (हियरिंग ईम्पेयरमेंट/ इंट्लेक्चुअल डिसेबिलिटी/ मेडिकल रिटारडेशन या परिनियम 12(12) में वर्णित विषयों के अनुसार)
2.	संकाय	पुनर्वास विज्ञान
3.	अवधि	दो वर्ष के चार सेमेस्टर) । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां"n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (RCI) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष या (RCI) सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार।
5.	सीट	मूल इकाई 25 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते

		परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टीपात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–125		
बैचलर ऑफ साइंस (नर्सिंग) बी.एससी. (नर्सिंग)		
स. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	बैचलर ऑफ साइंस (नर्सिंग) बी.एससी. (नर्सिंग)
2.	संकाय	हेल्थ एण्ड एलाइड साइंसेस
3.	अवधि	चार साल के आठ सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां "n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (INC) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 10+2 या समकक्ष या (INC) सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार, जिसमें पश्चात्वर्ती अभिभावी होगा।
5.	सीट	मूल इकाई 60 सीटो की होगी, इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को

		अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–126		
पोस्ट बेसिक बैचलर ऑफ साइंस (नर्सिंग) पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)		
स. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	पोस्ट बेसिक बैचलर ऑफ साइंस (नर्सिंग) पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)
2.	संकाय	नर्सिंग/पैरामेडिकल
3.	अवधि	दो साल के चार सेमेस्टर। पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां "n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (INC) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से (पी. सी. बी.) विषय के साथ 10+2 या समकक्ष या (INC) सुसंगत नियामक निकाय (आई.एन.सी.) के मानदण्डों के अनुसार, जिसमें पश्चात्वर्ती अभिभावी होगा।
5.	सीट	मूल इकाई 60 सीटो की होगी, इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को

		अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–127		
मास्टर ऑफ साइंस (नर्सिंग) एम.एससी (नर्सिंग) (मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग/आबस्टेट्रिक्स एण्ड गायानेकोलॉजी नर्सिंग/पेडीएट्रीक नर्सिंग/साइकेट्रीक नर्सिंग/कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग)		
स. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	मास्टर ऑफ साइंस (नर्सिंग) एम.एससी (नर्सिंग) (मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग/ ऑबस्टेट्रिक्स एण्ड ग्यानेकोलॉजी नर्सिंग/पेडीएट्रीक नर्सिंग/ साइकेट्रीक नर्सिंग/ कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग)
2.	संकाय	नर्सिंग/पैरामेडिकल
3.	अवधि	दो साल के चार सेमेस्टर। पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां "n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (INC) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से **नर्सिंग मे स्नातक** या समकक्ष या (INC) सुसंगत नियामक निकाय (आई.एन.सी.) के मानदण्डों के अनुसार, जिसमें पश्चात्वर्ती अभिभावी होगा।
6.	सीट	मूल इकाई 60 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
7.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
8.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
9.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना

		होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
11.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
12.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
13.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
14.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
16.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों

		से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–128		
डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी (डीएमएलटी)		
स. क्र.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी (डीएमएलटी)
2.	संकाय	नर्सिंग/पैरामेडिकल
3.	अवधि	दो साल के चार सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां "n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (INC) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 10+2 या समकक्ष या सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार, जिसमें पश्चात्वर्ती अभिभावी होगा।
5.	पार्श्व प्रवेश	उम्मीदवार को कम से कम 45%(आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिये 40%) के साथ नर्सिग में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उत्तीर्ण या सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार।
6.	सीट	मूल इकाई 60 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
7.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
8.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
9.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना

		होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
11.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
12.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
13.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
14.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
16.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों

		से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–129		
बैचलर ऑफ साइंस (मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी) बी.एससी. (एमएलटी)		
स. क्र.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	बैचलर ऑफ साइंस (मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी) बी.एससी. (एमएलटी)
2.	संकाय	नर्सिंग/पैरामेडिकल
3.	अवधि	तीन साल एंव छः महीने के सात सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृति योग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां "n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (INC) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 10+2 या समकक्ष या (INC) सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार, जिसमें पश्चात्वर्ती अभिभावी होगा।
5.	पार्श्व प्रवेश	उम्मीदवार को कम से कम 45%(आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिये 40%) के साथ नर्सिग में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उत्तीर्ण या सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार।
6.	सीट	मूल इकाई 60 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
7.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
8.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
9.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार

		को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
11.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
12.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
13.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
14.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
16.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग

		की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–130		
बैचलर ऑफ टेकनोलॉजी (अंशकालिक, सप्ताहांत कार्यक्रम) बी. टेक. (अंशकालिक, सप्ताहांत कार्यक्रम) (सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या परिनियम 12(04) में वर्णित विषयों के अनुसार)		
सं. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	बैचलर ऑफ टेकनोलॉजी (अंशकालिक, सप्ताहांत कार्यक्रम) बी. टेक. (अंशकालिक, सप्ताहांत कार्यक्रम) (सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या परिनियम 12(04) में वर्णित विषयों के अनुसार)
2.	संकाय	इंजीनियरिंग
3.	अवधि	पांच साल के दस सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृति योग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां "n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (AICTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषयों के साथ 10+2 या सुसंगत विषयों के साथ समकक्ष या सुसंगत नियामक निकाय के द्वारा निर्धारित योग्यता की शर्तो को पूरा करता हो। पंजीकृत फर्म/ कंम्पनी/शैक्षणिक संस्था में दो साल का पूर्ण कालिक कार्य अनुभव या (AICTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार।
5.	पार्श्व प्रवेश	उम्मीदवार को कम से कम 45% (आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिये 40%) के साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उत्तीर्ण या (AICTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार ।
6.	सीट	मूल इकाई 60 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
7.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
8.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
9.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी

		करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
11.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
12.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
13.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
14.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
16.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के

		उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–131		
मास्टर ऑफ टेकनोलॉजी (अंशकालिक, सप्ताहांत कार्यक्रम) एमटेक (अंशकालिक, सप्ताहांत कार्यक्रम) (सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या परिनियम 12(04) में वर्णित विषयों के अनुसार)		
सं. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	मास्टर ऑफ टेकनोलॉजी (अंशकालिक, सप्ताहांत कार्यक्रम) एमटेक (अंशकालिक, सप्ताहांत कार्यक्रम) (सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या परिनियम 12(04) में वर्णित विषयों के अनुसार)
2.	संकाय	इंजीनियरिंग
3.	अवधि	तीन साल के छः सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां "n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (AICTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक या विज्ञान में स्नातकोक्तर या संबंधित विषयों के साथ समकक्ष या (AICTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार।
5.	सीट	मूल इकाई 18 सीटो की होगी, इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय (AICTE) के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के

		साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–132		
डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (अंशकालिक, सप्ताहांत कार्यक्रम) (सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या परिनियम 12(04) में वर्णित विषयों के अनुसार)		
सं. क्र.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (अंशकालिक, सप्ताहांत कार्यक्रम) (सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या परिनियम 12(04) में वर्णित विषयों के अनुसार)
2.	संकाय	इंजीनियरिंग
3.	अवधि	चार साल के आठ सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां "n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (AICTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	कक्षा 10 वी या दो वर्ष का आई.टी.आई या कक्षा दसवी उर्तीण के साथ साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 10+2। पंजीकृत फर्म / कंम्पनी/ शैक्षणिक संस्था में दो साल का पूर्ण कालिक कार्य अनुभव या (AICTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार।
5.	पार्श्व प्रवेश	उम्मीदवार को कम से कम 45% (आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिये 40%) के साथ आई.टी.आई या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उत्तीर्ण या सुसंगत नियामक निकाय (AICTE) के मानदंडों के अनुसार ।
6.	सीट	मूल इकाई 60 सीटो की होगी, इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
7.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
8.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
9.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की

		जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
11.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
12.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
13.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
14.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
16.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व

		स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–133		
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए (अंशकालिक, सप्ताहांत कार्यक्रम)		
सं. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए (अंशकालिक, सप्ताहांत कार्यक्रम)
2.	संकाय	प्रबंधन
3.	अवधि	दो साल छः माह के पांच सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहां "n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष या सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार।
5.	सीट	मूल इकाई 60 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश–134		
बैचलर ऑफ एजुकेशन (अंशकालिक, सप्ताहांत कार्यक्रम) बी.एड.(अंशकालिक, सप्ताहांत कार्यक्रम)		
सं. क.	विशेष	विशेषीकरण
1.	शीर्षक	बैचलर ऑफ एजुकेशन (अंशकालिक, सप्ताहांत कार्यक्रम) बी.एड.(अंशकालिक, सप्ताहांत कार्यक्रम)
2.	संकाय	शिक्षा /अध्यापक प्रशिक्षण
3.	अवधि	तीन वर्ष के छः सेमेस्टर । पाठ्यक्रम को पूरा होनेके लिए स्वीकृतियोग्य अधिकतम अवधि (n+2) वर्ष होगी जहा "n" पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो की कुल संख्या (या (n+4) सेमेस्टर, जहॉ "n" निर्धारित पाठ्यक्रम के सेमेस्टर की कुल संख्या है) या (NCTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार होगा।
4.	पात्रता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष या (NCTE) सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों के अनुसार।
5.	सीट	मूल इकाई 50 सीटो की होगी। इस इकाई के गुणक को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है।
6.	प्रवेश प्रक्रिया	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य आरक्षण और प्रवेश के संबंध मे उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं प्रवेश, पात्रता आदि के मामले में संबंधित नियामक निकाय (NCTE) के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
7.	शैक्षणिक वर्ष	दो शैक्षणिक चक्र होंगे एक जुलाई से दिसंबर तक और दूसरा जनवरी से जून तक।
8.	चयन प्रक्रिया	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्राविण्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित उम्मीद्वारों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीद्वारों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उम्मीद्वार जिनका परिणाम प्रतीक्षित है, वे भी आवेदन कर सकेगें । तथापि ऐसे उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि उम्मीद्वार अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। बशर्ते परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व नामांकित उम्मीद्वार को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

9.	**प्रवेश निरस्तीकरण**	विद्यार्थियों का प्रवेश निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है :– 1. किसी भी स्तर पर, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्डो/दिशा–निर्देशो या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है। 2. विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की घोर अनुशासनहीनता में संलिप्तता। 3. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। 4. शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर। 5. आवेदन प्रपत्र अपूर्ण होने पर। 6. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नही किया गया हो। **नोट** :– सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नए नामांकित छात्र को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।
10.	**शुल्क**	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
11.	**पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना**	विश्वविद्यालय के आध्यादेश 2 अधिनियम 12(1) के अनुसार।
12.	**उत्तीर्ण होने हेतु पात्रता**	जैसा कि अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित कर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
13.	**मूल्यॉकन और परीक्षा**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
14.	**पूरक/ए.टी.के.टी पात्रता मापदण्ड**	विश्वविद्यालय के अध्यादेश न. 2 के अनुसार ।
15.	**सामान्य**	प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन परिषद द्वारा तैयार कर, शैक्षणिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में कार्यवाही छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिलासपुर में होगी। ऐसे अन्य प्रावधान जो उपरोक्त में निहित नहीं हैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों और परिनियमों से नियंत्रित होगें एवं सुसंगत नियामक निकाय के मानदण्डों और मानकों का पालन करेगें।

अध्यादेश– 135
डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पार्ट टाइम (पीएच.डी.) पार्ट टाइम

1. **पी.एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदण्ड**

इन विनियमों में नियत शर्तों के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित व्यक्ति पीएच.डी.कार्यक्रम में प्रवेश होने हेतु पात्र है–

(i) पीएच.डी.कार्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यार्थियों के पास कम से कम दो वर्ष शिक्षण अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि अथवा तत्संबंधी वैधानिक विनियामक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित व्यवसायिक उपाधि के साथ कुल न्यूनतम 55 प्रतिशत सकल अंक या यूजीसी 7 प्वाइंट स्केल में उसका समकक्ष श्रेणी (या प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड जब कभी भी ग्रेडिंग पद्धति का अनुपालन किया जाता हो) या मूल्यांकन प्रत्यायन एजेंसी शैक्षणिक संस्थाओं के गुणवत्ता एवं मानक के निर्धारण, प्रत्यायन या प्रत्याभूत होने के प्रयोजन के लिए स्वदेश में विधि द्वारा स्थापित या निगमित प्राधिकारी द्वारा अथवा उस देश के किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या प्राधिकृत हो, के द्वारा प्रत्यायित विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समतुल्य उपाधि होना चाहिए।

प्रवेश हेतु अहर्ता में 5 प्रतिशत की छुट अर्थात 55 प्रतिशत अंक के स्थान पर 50 प्रतिशत अंक या ग्रेड में समतुल्य छूट उस वर्ग के अभ्यार्थियों को उपलबध होगी जो संबंधित आयोग द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अजा/अजजा/अपिव (गैर क्रीमी लेयर)/दिव्यांग या अन्य विशेष वर्ग से संबंधित है या यह छुट ऐसे अभ्यार्थियों को भी प्राप्त होगी जिनके द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि 19 सितम्बर 1991 से पूर्ण अर्जित कर ली गई थी। कुल 55 प्रतिशत के अर्हता सकल प्राप्तांक (या प्वाइंट स्केल पर समकक्ष ग्रेड जहॉ कही ग्रेडिंग प्रविधि प्रचलित हो) पर 5 प्रतिशत की छूट केवल प्राप्तांको पर ही अधारित होगी जिसमें कृपांक (grace marks) सम्मलित नही किए जायेगें ।

(ii) अभ्यार्थियों जो न्यूनतम 55 प्रतिशत सकल अंक या यू.जी.सी. 7 प्वाइंट स्केल में उसकी समतुल्य श्रेणी (या प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड जब कभी भी ग्रडिंग पद्धति का अनुपालन किया जाता हो) एम.फिल. पाठ्यक्रम कार्य उत्तीर्ण हो तथा जो एम.फिल. उपाधि सफलता पूर्वक पूरा करता हो वह एकीकृत कार्यक्रम में उसी संस्था में पी.एचडी. उपाधि शोध कार्य होने हेतू पात्र होगा।

55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक, 5 प्रतिशत अंकों की छूट या श्रेणी के समकक्ष छूट, आयोग के समय–समय पर किये निर्णयो के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./(गैर क्रीमिलेयर)/दिव्यांग एवं अन्य प्रवर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(iii) व्यक्ति जिसका एम.फिल. शोध निबंध मूल्यांकित किया जा चूका है एवं मौखिकी लंबित है, वह उसी संस्थान के पी.एचडी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्ह होगा।

(iv) अभ्यार्थी, जो भारतीय संस्थान के एम.फिल. उपाधि के समतुल्य मानी गयी उपाधि, मूल्यांकन एवं प्रत्यायन एजेंसी जो शैक्षणिक संस्थाओं के गुणवत्ता एवं मानक के निर्धारण प्रत्यायान या प्रत्याभूत होने के प्रयोजन के लिए स्वदेश में विधि के अधीन स्थापित या निगमित प्राधिकारी द्वारा अथवा उस देश के किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या प्राधिकृत हो, के द्वारा प्रत्यायित विदेशी शैक्षणिक संस्थान से होना चाहिए, पीएच.डी.कार्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

2. **कार्यक्रम की अवधि :**

(i) पीएच.डी.कार्यक्रम न्यूनतमचार (04) वर्ष कोर्स वर्क सहित और अधिकतम सात वर्ष (07) वर्ष के लिए होगा।

(ii) उपरोक्त सीमाओं से परे अपवादिक मामलों में शोध परामर्श कमेटी की अनुशंसा एवं शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन से विस्तारण दिया जायेगा।

(iii) महिला अभ्यार्थियों एवं दिव्यांगों (40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता) को अधिकतम अवधि में पीएच.डी.हेतु एक वर्ष की छूट दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त महिला अभ्यार्थियों को पीएच.डी.की संपूर्ण अवधि में 240 दिनों तक के लिए एक बार मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जायेगा।

3. **प्रवेश हेतु प्रक्रिया :**

(i) विश्वविद्यालय स्वयं के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पीएच.डी.के विद्यार्थियों को प्रवेश देगा। विश्वविद्यालय का शासी परिषद् उन विद्यार्थियों जो पीएच.डी.नेट (जेआरएफ सहित)/यू.जी.सी.–सीएसआईआर नेट (जेआरएफ सहित)/स्लेट/गेट/शिक्षक फलोशिप धारक या एम.फिल. कार्यक्रम उत्तीर्ण के लिये पृथक से दशा एवं शर्तें विनिश्चित करेगा।

(ii) विश्वविद्यालयः

क. स्कॉलर–शिक्षक अनुपात (4.5 में यथा दर्शित), प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं ऐसी अन्य सुविधाओं संबंधी मापदण्डों को ध्यान में रखते हुये उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों की संख्या एवं अन्य शैक्षणिक तथा उपलब्ध भौतिक सुविधाओं के आधार पर प्रवेश दिये जाने वाले पी.एच.डी. शोध–छात्रो की संख्या का पूर्व निर्धारण एवं प्रबंधन के लिये अपने शासी परिषद् के माध्यम से वार्षिक आधार पर निर्णय करेगा।

ख. प्रवेश के लिये सीटों की संख्या उपलब्ध सीटों के विषय/संकायवार वितरण प्रवेश के लिये मानदण्ड, प्रवेश के लिये प्रक्रिया परीक्षा केन्द्र जहां परीक्षा आयोजित किया जायेगा एवं अभ्यर्थी के हित के सभी अन्य सुसंगत जानकारी को संस्थान की वेबसाइट में अग्रिम में तथा कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जिसमें कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो, में विज्ञापन के माध्यम से अधिसूचित करेगा।

ग. राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरक्षण नीति जैसा कि लागू हो, का अनुसरण किया जायेगा।

(iii) प्रवेश यू.जी.सी एवं तत्संबंधी अन्य वैधानिक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों/मानकों को ध्यान में रखते हुये विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित मानदण्ड पर आधारित होंगे तथा केन्द्र/राज्य शासन की आरक्षण नीतियों को ध्यान में रखा जायेगा।

(iv) विश्वविद्यालय, दो चरण प्रक्रिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रवेश देगा।

क. प्रवेश परीक्षा में अभ्यार्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे। प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम शोध पद्धति 50 प्रतिशत तथा विशेषीकृत विषय में 50 प्रतिशत से मिलकर बनेगा। प्रवेश परीक्षा अग्रिम में अधिसूचित कर केन्द्र

में (केन्द्र में परिवर्तन यदि कोई हो तो भी अग्रिम में अधिसूचित करना होगा) आयोजित की जायेगी।

ख. अभ्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत रूप से गठित विभागीय शोध समिति के समक्ष आयोजित साक्षात्कोरों/मौखिकी कार्यक्रम में अपनी शोघ अभिरूची/क्षेत्र पर प्रस्तुति देनी होगी ।

ग. साक्षात्कार/मौखिकी में निम्नलिखित पक्षों पर भी विचार किया जायेगा, जैसे, क्या–

घ. अभ्यर्थी प्रस्तावित शोध हेतु सक्षमता रखता है,

ड. शोध कार्य संस्थान/महाविद्यालय में उपयुक्त रूप से किया जा सकेगा।

च. शोध का प्रस्तावित क्षेत्र नये/अतिरिक्त ज्ञान के लिये योगदान कर सकता है।

(vi) विश्वविद्यालय वर्गवार के आधार पर सभी पीएच.डी.पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची संधारित करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थियों के नाम/नामांकन/पंजीकरण का दिनांक सम्मिलित होगा।

4. शोध पर्यवेक्षक का आबंटन– शोध पर्यवेक्षक, सह–पर्यवेक्षक के अनुसार अनुज्ञेय पीएच.डी.स्कॉलर के नाम आदि के लिए पात्रता मानदण्ड़।

(i) निर्दिष्ट जर्नल में कम से कम पांच शोध प्रकाशन के साथ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय माने गये विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी नियमित प्रोफेसर तथा पीएच.डी.उपाधि तथा निर्दिष्ट जर्नल में कम से कम दो शोध प्रकाशन सहित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रूप में माने गये विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त नियमित सह/सहायक प्रोफेसर को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकेगी। परंतु क्षेत्र/संकाय जहां निर्दिष्ट जर्नल की संख्या न हो या केवल सीमित संख्या हो तो संस्थान लिखित के कारणों को लेखबद्ध करते हुए शोध पर्यवेक्षक के रूप में व्यक्ति की मान्यता के लिये उपरोक्त शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(ii) केवल विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय के रूप में माने गये संस्थान/महाविद्यालय के केवल पूर्णकालिक नियमित शिक्षक ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे। बाह्य पर्यवेक्षक को अनुमति नहीं होगी। तथापि सह–पर्यवेक्षक को शोध सलाहकार समिति के अनुमोदन से उसी संस्थान के अन्य विभाग अथवा अन्य संबंधित संस्थान के अंतरानुशासनिक क्षेत्रों में अनुमति होगी।

(iii) चयनित शोध छात्र के लिये शोध पर्यवेक्षक का आबंटन संबंधित विभाग द्वारा प्रत्येक शोध पर्यवेक्षक पर स्कॉलरों की संख्या पर्यवेक्षकों के बीच उपलब्ध विशेषज्ञता तथा साक्षात्कार मौखिकी के समय उनके द्वारा यथा दर्शित छात्रो के शोध में अभिरूचि के आधार पर किया जायेगा।

(iv) ऐसे मामलों में जिसमें अंतरानुशासनिक प्रकृति का शीर्षक हो जहां संबंधित विभाग प्रतीत करता हो कि विभाग में विशेषज्ञता बाहर से अनुपूरित किया जाये, विभाग स्वयं से शोध पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर सकेगा, जो शोध पर्यवेक्षक के रूप जाना जायेगा एवं बाह्य विभाग/संकाय/महाविद्यालय/संस्थान से ऐसे दशा और शर्त पर जैसा कि संस्थान/महाविद्यालयों की सहमति से विनिर्दिष्ट एवं सहमत हो, नियुक्त हो सकेगा।

(v) कोई शोध पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक जो प्रोफेसर है दिये गये समय बिन्दु में आठ (8) पी.एचडी. शोध छात्रों से अधिक का पर्यवेक्षण नहीं कर सकेगा। शोध पर्यवेक्षक के रूप में सह–प्रोफेसर अधिकतम छः(6) तक पी.एच.डी. शोध छात्रों का पर्यवेक्षण कर सकेगा तथा शोध पर्यवेक्षक के रूप में सहायक प्रोफेसर अधिकतम चार (4) तक पी.एच.डी.शोध छात्रों को पर्यवेक्षण कर सकेगा।

(vi) विवाह या अन्यथा के कारण किसी पी.एचडी. महिला शेध क्षात्रो के स्थान परिवर्तन की दशा में विश्वविद्यालय जिसमें शोध छात्रों स्थान परिवर्तन हेतु इच्छा रखता है में शोध डाटा स्थानांतरित होनेकी अनुमति दी जायेगी परंतु इन नियमों में सभी अन्य शर्तों का अनुपालन अक्षरशः किया जायेगा एवं शोध कार्य मूल संस्था/मूल पर्यवेक्षक द्वारा स्वयं किसी फंडिग एजेंसी से प्राप्त परियोजना से संबंधित नहीं हो। तथापि शोध छात्रों पूर्व में किये गये शोध के भाग के लिये मूल पर्यवेक्षक एवं संस्था को विधिवत् क्रेडिट देगा।

5. पाठ्यक्रम कार्य :—अपेक्षित क्रेडिट, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम पूर्णता हेतु न्यूनतम मानक आदि।

(i) पीएच.डी.पाठ्यक्रम कार्य को समनुदेशित क्रेडिट न्यूनतम 08 क्रेडिट एवं अधिकतम 16 क्रेडिट होगा।

(ii) पाठ्यक्रम कार्य को पी.एचडी. की तैयारी के लिये पूर्वापेक्षा के रूप में माना जायेगा। न्यूनतम चार क्रेडिट शोध पद्धतिशार्ष्त्र पर एक या अधिक पाठ्यक्रमों के लिये समनुदेशित किया जायेगा। जिसमें ऐसे क्षेत्र हो सकेंगे जैसे कि परिमाणात्मक रीति, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, सुसंगत क्षेत्र में शोध आचार एवं प्रकाशित शोध की समीक्षा प्रशिक्षण क्षेत्र कार्य आदि होंगे। अन्य पाठ्यक्रम पीएच.डी.की उपाधि के लिये तैयारी होनेवाले विद्यार्थियों हेतु उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम होगा।

(iii) पीएच.डी.पाठ्यक्रम कार्य हेतु विहित सभी पाठ्यक्रम क्रेडिट घंटे अनुदेशात्मक (शैक्षणिक) आवश्यकता के सुसंगत होंगे एवं विषयवस्तु शैक्षणिक और निर्धारण रीति विनिर्दिष्ट करेंगे। प्राधिकृत शैक्षणिक निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित होंगे।

(iv) विभाग जहां स्कॉलर अपने शोध का अनुशीलन करता है, के द्वारा शोध सलाहकार समिति की अनुशंसा पर स्कॉलर के लिये पाठ्यक्रम विहित करेगा। जैसा कि नीच दी गई उप–खण्ड 8.1 के अधीन नियत है।

(v) पीएच.डी.कार्यक्रम में प्रवेशित सभी अभ्यर्थीयो से आरंभिक एक या दो सेमेस्टर के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण होनेकी अपेक्षा की जायेगी।

(vi) पहले से एम.फिल. उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्हें पीएच.डी.पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हो गया है अथवा जिन्होंने पूर्व से ही एम.फिल. में पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण कर लिया है तथा जिन्हें पी.एचडी. एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है उन्हें विभाग द्वारा पीएच.डी.पाठ्यक्रम कार्य में छूट प्रदान की जा सकती है। अन्य सभी अभ्यर्थी जिन्हें पी.एचडी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है उन्हें विभाग द्वारा विहित पीएच.डी.पाठ्यक्रम कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

(vii) शोध पद्धति शास्त्र पाठ्यक्रम सहित पाठ्यक्रम कार्य में ग्रेड का शोध सलाहकार समिति एवं विभाग द्वारा संयुक्त निर्धारण किया जाकर अंतिम रूप दिया जायेगा तथा अंतिम ग्रेड संस्था/महाविद्यालय को सूचित किया जायेगा।

(viii) पाठ्यक्रम में निरंतर पात्र होने के लिए पाठ्यक्रम कार्य में यू.जी.सी 7 पाईंट स्केल में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष श्रेणी पी.एचडी. स्कॉलर को अभिप्राप्त करना होगा तथा शोध निबंध/थीसिस प्रस्तुत करना होगा।

6. शोध सलाहकार समिति और इसके कार्य –

(i) प्रत्येक पीएच.डी.स्कॉलर के लिये एक शोध सलाहकार समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

क. कुलपति या उसका नामित
ख. संबंधित संकाय का संस्थान प्रमुख
ग. संबंधित विषय में विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का प्रमुख
घ. संबंधित विषय के अध्ययन मंडल के अध्यक्ष

ड. अध्ययन मंडल के अध्यक्ष द्वारा दिये गये पॉच विशेषज्ञों के पैनल में से कुलपति द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की श्रेणी का एक बाह्य विषय विशेषज्ञ। बाह्य विशेषज्ञ एवं दो अन्य सदस्यों से गण पूर्ति होगी।

टीपः

1. पर्यवेक्षक के अनुरोध पर, कुलपति उसे अनुमति दे सकेगा कि वह आर.डी.सी. बैठक में उस अभ्यर्थी के मौखिक प्रस्तुति के दौरान अवलोकनकर्ता के रूप में उपस्थित रहे।
2. शोध उपाधि समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए अभ्यर्थी एवं पर्यवेक्षक को कोई वाहन भत्ता एवं महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। स्कॉलर का शोध पर्यवेक्षक इस समिति का आयोजक होगा।

इस समिति के पास निम्नलिखित दायित्व होंगे–

1. शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना एवं शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देगा।
2. अध्ययन रूपरेखा एवं शोध पद्धतिशाव्र्ज्ञ का विकास होनेके लिए शोध स्कॉलर को गाइड करना एवं पाठ्यक्रम जिसमें वह करना चाहता है का चिन्हांकन करना।
3. शोध स्कॉलर को शोध कार्य की प्रगति की सावधिक समीक्षा करना एवं उसमें सहायता करना।

6.2 शोध स्कॉलर मूल्यांकन एवं अग्रतर मार्गदर्शन के लिए उसके कार्य की प्रगति प्रस्तुति के लिए 6 माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होगा। छःमाही प्रगति रिपोर्ट, शोध स्कॉलर को एक प्रति सहित संस्थान/महाविद्यालय को शोध सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा

6.3 यदि शोध स्कॉलर की प्रगति असंतोषजनक है तो शोध सलाहकार समिति उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी और उपयुक्त उपायों हेतु सुझाव देगी। यदि शोध स्कॉलर इन उपयुक्त उपायों को क्रियान्वित होनेमें असफल रहता है तो शोध सलाहकार समिति, शोध स्कॉलर का पंजीयन रद्द होनेके लिये विशिष्ट रूप से कारण दर्शाते हुये विश्वविद्यालय को अनुशंसा कर सकेगी।

7 उपाधि प्रदान होने के लिये मूल्यांकन एवं निर्धारण पद्धति न्यूनतम मानक एवं क्रेडिट–

7.1 पाठ्यक्रम कार्य के संतुष्टिपूर्वक पूर्ण नहीं होने पर तथा उपखण्ड 7.8 में विहित अंक/ग्रेड प्राप्त होने पर जैसा भी स्थिति हो, पीएच.डी. स्कॉलर से शोध कार्य होनेतथा इन विनियमों के अनुसार संबंधित संस्था द्वारा नियत युक्तियुक्त समय के भीतर शोध निबंध/थीसिस प्रारूप प्रस्तुत होनेकी अपेक्षा होगी।

7.2 शोध निबंध/थीसिस के प्रस्तुति के पूर्व, स्कॉलर, संबंधित संस्थान के शोध सलाहकार समिति के समक्ष विभाग में प्रस्तुति देगा। जो सभी संकाय सदस्यों एवं अन्य शोध स्कॉलरों के लिए खुला रहेगा। उनसे प्राप्त फीडबैक एवं टिप्पणी को सलाहकार समिति से परापमर्श कर शोध निबंध/थीसिस प्रारूप में उपयुक्त रूप से निगमित कर सकेगा।

7.3 पीएच.डी.स्कॉलर सम्मेलन/सेमीनार में कम से कम एक शोध पेपर में उपस्थित रहेगा तथा निर्णय के लिये शोध निबंध/थीसिस के प्रस्तुति के पूर्व सम्मेलन/सेमीनार में दो पेपर में प्रस्तुति देगा। प्रस्तुति प्रमाणपत्र और/या पुनः मुद्रण के रूप में उसके लिये सदस्य प्रस्तुत करेगा।

7.4 विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् बेहतर विकसित साफ्टवेयर प्रयुक्त यंत्र एवं साहित्यिक चोरी को तथा शैक्षिक बेइमानी के अन्य रूप को पकड़ने वाले गजट शामिल करेगा। मूल्यांकन के लिये प्रस्तुति के समय शोध निबंध/थीसिस के लिए शोध स्कॉलर से वचन पत्र तथा शोध पर्यवेक्षक से कार्य प्रत्ययन की मूलता की सत्यता के वचन स्वरूप

प्रमाणपत्र लिये जावेंगे कि यह साहित्यिक चोरी नहीं है तथा उस संस्थान जहां वह कार्य क्रियान्वित किया गया है या किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि / पत्रोपाधि प्रदान होने हेतु यह कार्य पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7.5 शोध स्कॉलर द्वारा प्रस्तुत पीएच.डी.शोध निबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक द्वारा और कम से कम एक बाह्य परीक्षक जो संस्थान/महाविद्यालय के नियोजन में न हो के द्वारा किया जायेगा। मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गई आलोचना पर, किन्हीं अन्य बातों के आधार पर, मौखिक परीक्षा उसमें से दोनों द्वारा आयोजित की जायेगी तथा शोध सलाहकार समिति के सदस्य, विभाग के सभी संकाय सदस्य, अन्य शोध स्कॉलर एवं अन्य रूचि रखने वाले विशेषज्ञों/शोधकर्ताओं की उपस्थिति के लिये खुला रहेगा।

7.6 शोध निबंध/थीसिस के परिरक्षण के लिये शोध स्कॉलर का सार्वजनिक मौखिकी परीक्षा संचालित की जायेगी यदि शोध निबंध/थीसिस पर बाह्य परीक्षकों के द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट संतुष्टि पूर्ण हो तथा मौखिकी परीक्षा संचालन के लिए विशिष्ट अनुशंसा शामिल है। यदि पी.एचडी. शोध निबंध के मामले में बाह्य परीक्षक का मूल्यांकन रिपोर्ट असंतुष्टि पूर्ण है तथा मौखिकी की अनुशंसा नहीं की गई है तो विश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से दूसरे बाह्य परीक्षक को शोध निबंध भेजेगा तथा मौखिकी परीक्षा तभी आयोजित की जायेगी यदि अंतिम परीक्षक की रिपोर्ट संतुष्टि पूर्वक है। यदि अंतिम परीक्षक का रिपोर्ट असंतुष्टि पूर्व है तो शोध निबंध/थीसिस निरस्त कर दी जायेगी । और शोध स्कॉलर को उपाधि प्राप्त होनेके लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

7.7 विश्वविद्यालय ऐसे युक्तियुक्त पद्धति विकसित करेगा जिससे शोध निबंध/थीसिस के प्रस्तुति की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर पीएच.डी.शोध निबंध के मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो सके।

8. दूरस्थ पद्धति/अंशकालीन माध्यम से पी.एच.डी. का संचालनः

8.1 इन विनियमों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम या विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय दूरस्थ पद्धति पर पी.एच.डी. कार्यक्रम संचालित नहीं करेगा।

9. इन्फलिबनेट के साथ निक्षेपागारः–

9.1 मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होनेएवं पी.एचडी. उपाधि के अवार्ड के घोषित होने के पूर्व, संबंधित संस्थान उसी की मेजबानी (होस्ट करने) के लिए इन्फलिबनेट को पीएच.डी.शोध निबंध की इलेक्ट्रानिक प्रति ऐसे प्रस्तुत करेगा जिससे सभी संस्थान/महाविद्यालय के लिये अवलोकन सुगम हो।

9.2 उपाधि के वास्तविक अवार्ड के पूर्व इस आशय का अंनतिम प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय जारी करेगा कि उपाधि, यू.जी.सी. विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया गया है।

अटल नगर, दिनांक 1 अप्रैल 2022

क्रमांक एफ 3–8/2018/38–2. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01–4–2022 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

Atal Nagar, the 1st April 2022

NOTIFICATION

No. F 3-8/2018/38-2. – Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 967/Vividh/171(C)/2018/16582, Dated 09-02-2022 has approved the amendment of Statute No. 12 and subsequent Ordinance No. 55, 56, 65, 66, 71, 73, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 and 135 of Sri Rawatpura Sarkar University, Near Shadani Darbar, Village-Dhaneli, Post Office-Mana, Dhamtari Road, Tehsil and District-Raipur (Chhattisgarh) Under Section 29 (2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Statute and Ordinances in Official Gazette on the condition of obtaining permission from the concerned Department and Regulatory/Statutory Body.

3. The above Statute and Ordinances shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHUVANESH YADAV, Secretary.

PROPOSED AMENDMENT IN THE FIRST STATUTES

Following are the proposed amendment related to various facultiesin passed first statutes no. 12

S. No. 1	Number/ Matter 2	Name of the Faculty 3		Subject or Group of Departments/Subjects 4	Reason of Amendment 5
		Existing Provision	Proposed Amendment		
1	Amendment in statute no. 12	Faculty of Science	--	1. Computer Science	New Programs to be Added
2	Amendment in statute no. 12	Faculty of Management	--	1. Social Media Marketing 2. Rural Development 3. Fire & Safety Management 4. House Keeping 5. Front Office 6. Food & Beverage 7. Food Production	New Programs to be Added
4	Amendment in statute no. 12	Faculty of Engineering	--	1. Big Data Analytics 2. Networking & Internet Security 3. Transportation Engineering 4. Urban & Town Planning Engineering	New Programs to be Added
5	Amendment in statute no. 12	Faculty of Arts	--	1. Photography 2. Cinema 3. Acting 4. TV journalism and Mass Communication 5. Advertising and Brand Communication 6. Fashion Design 7. Fashion Communication 8. 3D Animation and Visual Effects 9. Animation 10. Visual Effects	New Programs to be Added
6	Amendment in statute no. 12	Faculty of Hotel Management	--	1. Food Technology	New Programs to be Added

S. No. 1	Number/ Matter 2	Name of the Faculty 3		Subject or Group of Departments/Subjects 4	Reason of Amendment 5
		Existing Provision	Proposed Amendment		
7	Amendment in statute no. 12	Faculty of Fashion Design	--	1. Jewelry Design 2. Apparel Merchandising 3. Draping & Stitching 4. Graphic Design	New Programs to be Added
8	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Health & Allied Sciences	1. Medical Anatomy 2. Medical Bio-chemistry 3. Medical Microbiology 4. Medical Pharmacology 5. Public Health 6. Hospital Administration 7. Medical Lab Technology 8. Biotechnology 9. Naturopathy & Yogic Science 10. Optometry 11. Occupational Therapy 12. Pharmacy (Ayurveda) 13. Panchkarma 14. Public Health and Community Nutrition 15. Accident & Emergency Care Technology 16. Cardiac Technology 17. Cardio Pulmonary Perfusion Care Technology 18. Critical Care Technology 19. Medical Record Science 20. Dialysis Technology 21. Medical Sociology 22. Neuro Science Technology 23. Nuclear Medicine Technology 24. Operation Theatre and Anesthesia Technology 25. Physiotherapy	New Programs to be Added

S. No. 1	Number/ Matter 2	Name of the Faculty 3		Subject or Group of Departments/Subjects 4	Reason of Amendment 5
		Existing Provision	Proposed Amendment		
8	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Health & Allied Sciences	26. Prosthetics & Orthotics 27. Intensive Care Technology 28. Diabetes Science 29. Neuro Electro Physiology 30. Physician Assistant 31. Audiology and speech Therapy 32. Audiology and speech Pathology 33. Imaging Technology 34. Perfusion Technology 35. Radio Therapy 36. Renal Dialysis Technology 37. Respiratory Technology 38. Nursing 39. Trauma Care Management 40. Clinical Social work 41. Clinical Psychology 42. Biostatistics 43. Blood Bank Technology 44. Clinical Nutrition 45. Epidemiology 46. Genetic Counseling 47. Hospital & Health Systems Management 48. Human Genetics 49. Hospital Informatics System of Tele Medicine 50. Medical Physics 51. Molecular Virology 52. Microbial Molecular Biology (Basic Medical Sciences) 53. Psychiatric Social work 54. Regenerative Medicine 55. Radiology & Imaging	New Programs to be Added

S. No. 1	Number/ Matter 2	Name of the Faculty 3		Subject or Group of Departments/Subjects 4	Reason of Amendment 5
		Existing Provision	Proposed Amendment		
8	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Health & Allied Sciences	Technology 56. Sports & Fitness Nutrition 57. Public Health Entomology (DPHE) 58. Learning Disability 59. Health Promotion & Education 60. Emergency Medical Technology 61. Medical Laboratory Technology 62. Ward Administration 63. Auditory Verbal Therapy 64. Bio-Informatics 65. Bio-Mechanics and Kinesiology in Sports & Fitness	New Programs to be Added
9	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Education/Teachers Training	1. Elementary Teacher Education 2. Physical Education 3. Pre School Education 4. Early Childhood Education 5. Elementary Education 6. Arts Education (Visual Arts) 7. Arts Education (Performing Arts) 8. Fitness Management 9. Sports Management 10. Physical Education and Sports 11. Primary School Education 12. Fine Arts Education 13. Audio Visual Teaching 14. Higher Secondary School Education 15. Gym Instructor	New Programs to be Added

S. No. 1	Number/ Matter 2	Name of the Faculty 3		Subject or Group of Departments/Subjects 4	Reason of Amendment 5
		Existing Provision	Proposed Amendment		
10	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Law	1. International Law 2. Cyber Law 3. Human Rights 4. Intellectual Property Rights 5. Media & Entertaining 6. Business Law 7. Constitutional law 8. Criminal Law 9. Family Law 10. Property Rights 11. Legal Ethics	New Programs to be Added
11	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Vocational Education/Skill Development Faculty of	1. Accident & Emergency Care Technology 2. Accountancy and Auditing 3. Acupuncture 4. Advance Beautician 5. Advance Tailoring 6. Agriculture 7. Anesthesia Technology 8. Angiography Technology 9. Animal Transmitted Disease Education 10. Architecture 11. Assistant Physiotherapist 12. Audiology and Speech Pathology 13. Audiology and Speech Therapy 14. Automobile Engineering 15. Auxiliary Nurses & Midwifery 16. Ayurveda Medicine and Surgery 17. Bakery and Confectionery 18. Banking	New Programs to be Added

S. No. 1	Number/ Matter 2	Name of the Faculty 3		Subject or Group of Departments/Subjects 4	Reason of Amendment 5
		Existing Provision	Proposed Amendment		
11	Amendment in statute no. 12	--	Vocational Education/Skill Development	19. Basic Beautician 20. Basic Computer 21. Basic Tailoring 22. Beauty and Wellness Organic Agriculture 23. Blood Bank Technology 24. Boutique Manager 25. Cardiac Care Technology 26. Cardiac Pulmonary Perfusion 27. Catering Management 28. Cath lab Technology 29. Chocolate Making & Cake Making 30. Communication & Presentation Skills 31. Community Health Care 32. Community Medical Service and E.D.(Essential Drugs) 33. Computer Hardware 34. Construction Technology 35. Cookery 36. Cosmetic & Lifestyle Product Designing 37. Craft Course in Food 38. Customer Care Executive (Call center) 39. Dairy Science and Technology 40. Dark Room Assistant 41. Data Entry Operator 42. Dental Hygienist 43. Diabetes Educator 44. Dialysis Technology 45. Digital Arts & Animation 46. Drug and Pharmacy	New Programs to be Added

S. No. 1	Number/ Matter 2	Name of the Faculty 3		Subject or Group of Departments/Subjects 4	Reason of Amendment 5
		Existing Provision	Proposed Amendment		
11	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Vocational Education/Skill Development	47. DTP(Desk Top Publishing) 48. Duty Manager – Patient Relation services 49. E-Commerce (Electronic Commerce) 50. Electrocardiography 51. Electronics (Microprocessor) 52. Electronics Technology 53. EMT (Emergency Medical Technician) 54. English Communication Skills 55. Event Management 56. Fashion Technology and Apparel Design 57. Fashion Design 58. Financial Market 59. Food Technologyand Beverage Services 60. Front Line Health Worker 61. Front Office Assistant 62. General Duty Assistant 63. General Nursing and Midwifery (G.N.M.) Anesthesia 64. Geo Spatial Technology 65. Geriatric Aide Hospital Front Desk Coordinator 66. Graphic and Multimedia 67. Hair & Skin Care Beautician 68. Hand & Leprosy PhysiotherapyTechnology 69. Hearing Language and Speech X-Ray Technology 70. Helper Mason 71. Herbal Medicine 72. Histotechnician	New Programs to be Added

S. No. 1	Number/ Matter 2	Name of the Faculty 3		Subject or Group of Departments/Subjects 4	Reason of Amendment 5
		Existing Provision	Proposed Amendment		
11	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Vocational Education/Skill Development	73. HIV (Human Immunodeficiency) Virus & Family Education 74. Home Based Health Care 75. House Keeping 76. Human Nutrition 77. ICU (Intensive Care Unit) Technician 78. Instrumentation Technology 79. Jewelry Making 80. Leather Technology 81. Leather Technology (Footwear) 82. Life Insurance 83. Lifestyle Disease Education 84. Male Ward Boy 85. Industrial Tool Manufacturing Technology 86. Medical Care 87. Medical Equipment Technology (Basic Clinical Equipment) 88. Medical Imaging Technology 89. Medical Laboratory Technology 90. Medical Marketing 91. Medical Record Science 92. Medical Secretarial Service 93. Medical Sociology 94. Medical Store Management 95. Medical Transcript Analysis 96. Mehndi 97. Mental Rehabilitation 98. Micro Knitting 99. Mobile Repairing 100. Montessori and Kids	New Programs to be Added

S. No. 1	Number/ Matter 2	Name of the Faculty 3		Subject or Group of Departments/Subjects 4	Reason of Amendment 5
		Existing Provision	Proposed Amendment		
11	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Vocational Education/Skill Development	Academy Mentor 101. Motor Mechanic 102. Motor Rewinding 103. Multipurpose Health Worker (MPHW) 104. Music Technical Production 105. Neuro Electrophysiology 106. Neuro Technology 107. Nursing Care Assistant 108. Nutrition & Child Care 109. Nutrition &Dietics 110. Office Management 111. Office Secretary 112. Operation Theatre Assistant 113. Optician &Refractionist 114. Optometry & Ophthalmic Techniques 115. Paper Plate and Dona Making 116. Pathology Assistant 117. Patient Care Assistant 118. Pharmacy Assistant 119. Physician Assessment 120. Hotel Reception and Book Keeping 121. Physiologist Personal Assistant 122. Poultry Farming 123. Pradhan MantriArogyaMitra 124. Printing & Packaging 125. Printing & Publication 126. RAC (Refrigeration & Air Conditioning) 127. Radio Imaging Technology 128. Radio Therapy 129. Radiology Technician	New Programs to be Added

S. No. 1	Number/ Matter 2	Name of the Faculty 3		Subject or Group of Departments/Subjects 4	Reason of Amendment 5
		Existing Provision	Proposed Amendment		
11	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Vocational Education/Skill Development	130. Refractionist 131. Restaurant and Counter Service 132. Retail Sale 133. Rural Health Care 134. Salesmanship 135. Sanitary Inspector Training 136. Software Development 137. Soil & Water Management 138. Paramedical Health Care Assistant 139. Speech Audio Therapy Assistant 140. Audio Visual Teaching 141. Stenography and Computer Application 142. Tally (Total Accounting Leading List Year) 143. Technical & Analytical Chemistry 144. Textile Design 145. Textile Technology (Knitting) 146. Textile Technology (Spinning) 147. Textile Technology (Weaving) 148. Transportation System and Logistic Management 149. Travel and Tourism 150. Two Wheeler Repairing 151. Ultra Sound Technician 152. Vascular Surgery Technician 153. Vision Technician 154. Wireman 155. X-Ray technician	New Programs to be Added

S. No. 1	Number/ Matter 2	Name of the Faculty 3		Subject or Group of Departments/Subjects 4	Reason of Amendment 5
		Existing Provision	Proposed Amendment		
11	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Vocational Education/Skill Development	156. Yoga 157. Interior Design 158. Nursing 159. Journalism and Mass Communication 160. Banking Financial Services & Insurance 161. Film Art 162. Food Processing 163. Photography & Videography 164. Physiotherapy 165. Yoga & Nature Cure 166. Mass Media & Film Studies 167. Music & Performing Art 168. Healthcare Management 169. Hospital Management	New Programs to be Added
12	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Rehabilitation Sciences	1. Special Education 2. Prosthetics & Orthotics 3. Audiology and Speech 4. Language 5. Pathology 6. Rehabilitation Science Visual Impairment 7. Hearing Impairment 8. Learning Disability 9. Clinical Psychology 10. Autism Spectrum Disorders 11. Multiple Disabilities 12. Rehabilitation Psychology Science 13. Intellectual Disability 14. Mental Retardation 15. Deaf blind On Pilot basis 16. Special Education and	New Programs to be Added

S. No. 1	Number/ Matter 2	Name of the Faculty 3		Subject or Group of Departments/Subjects 4	Reason of Amendment 5
		Existing Provision	Proposed Amendment		
12	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Rehabilitation Sciences	Rehabilitation 17. Early Intervention 18. Vocational Rehabilitation 19. Audiology 20. Language Pathology 21. Hearing Ad Repairing Mold Technology 22. Locomotor and Cerebral Palsy 23. Child Guidance and Counseling	New Programs to be Added
13	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Fine Arts/ Performing Arts	1. Painting & Drawing 2. Applied Arts 3. Art & Craft Dramatics 4. Visual Communication 5. Western Music 6. Indian Classical Music 7. Western Dance 8. IndianClassical Dance 9. Indian Classical (Vocal) 10. Sitar 11. Tabla 12. Sculpture	New Programs to be Added
14	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Sanskrit Sounding Degrees	1. Vyakaran 2. Vedanta 3. Pali 4. Vedic Literature 5. Adveta 6. Ancient Indian History	New Programs to be Added
15	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Journalism/ Mass Communication/ Media Faculty of	1. Media Management 2. News Reporter 3. Media Researcher 4. Magazine Writer 5. Photo journalist	New Programs to be Added

S. No. 1	Number/ Matter 2	Name of the Faculty 3		Subject or Group of Departments/Subjects 4	Reason of Amendment 5
		Existing Provision	Proposed Amendment		
15	Amendment in statute no. 12	--	Journalism/ Mass Communication/ Media	6. Public Relation Specialist 7. Broadcast Journalism 8. Multimedia Story Coverage 9. Television News Writing 10. Graphic Design 11. New Media Technologies 12. Radio & Television Communication Reporting 13. Advertising & Public Relations 14. Writing for Media 15. Public Relations Management 16. Advertising & Ad Agencies 17. Consumer behavior 18. Media Planning & Advertising Research 19. Marketing Management. 20. Journalism of Electronic Media 21. Radio & Television Program Production 22. Web Media & Production 23. Media Planning & Management 24. Script Writing 25. Media Commercials 26. Communication theories 27. Public Health Journalism 28. Sports Journalism	New Programs to be Added
16	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Nursing / Paramedical	1. Anesthesia 2. Audiology and Speech Therapy 3. Blood Transfusion Technician 4. Cardiac Perfusion 5. Cardio Vascular and	New Programs to be Added

S. No. 1	Number/ Matter 2	Name of the Faculty 3		Subject or Group of Departments/Subjects 4	Reason of Amendment 5
		Existing Provision	Proposed Amendment		
16	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Nursing / Paramedical	Thoracic Nursing 6. Child Health Nursing 7. Community Health Nursing 8. Community Medical Services-Essential Drugs 9. Critical Care Nursing 10. Critical Care Technology 11. Dental Hygienist 12. Dialysis Technology 13. Dialysis Therapy 14. Emergency Medical Technician 15. Gastro Enterology Nursing 16. Haematology 17. Hear Language and Speech 18. Human Nutrition 19. Medical Biochemistry 20. Medical Imaging Technology 21. Medical Laboratory Technology 22. Medical Microbiology 23. Medical Radio-diagnosis 24. Medical Record Technology 25. Medical Surgical Nursing 26. Mental Health Nursing 27. Naturopathy and Yogic Science 28. Nephro Urology Nursing 29. Neurology 30. Neurosciences Nursing 31. Nuclear Medicine 32. Nursing 33. Nursing Care Assistant 34. Obstetrics and Gynecology Nursing	New Programs to be Added

S. No. 1	Number/ Matter 2	Name of the Faculty 3		Subject or Group of Departments/Subjects 4	Reason of Amendment 5
		Existing Provision	Proposed Amendment		
16	Amendment in statute no. 12	--	Faculty of Nursing / Paramedical	35. Occupational Therapy 36. Oncology Nursing 37. Operation Theatre Technology 38. Ophthalmic Technology 39. Ophthalmic Therapy 40. OT Technician 41. Pathology 42. Pediatric Nursing 43. Physiotherapy 44. Psychiatric Nursing 45. Radiation Technology 46. Radio diagnosis 47. Radio Therapy 48. Radiography 49. Respiratory Therapy Technology 50. Rural Health Care 51. Sports Physiotherapy 52. Ultra Sound Technician 53. X-Ray technology	New Programs to be Added

ORDINANCE – 55		
Bachelor of Optometry (B.Optom)		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Bachelor of Optometry (B.Optom)**
2.	**Faculty**	Health & Allied Sciences
3.	**Duration**	Four Years of Eight Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per the norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	10+2 with Science Subjects or equivalent with from a recognized Board or fulfills eligible conditions as laid down by concerned regulatory body, in which case the later shall prevail.
5.	**Lateral Entry**	In 3rd Semester (2nd Year). Candidate must have passed Diploma in Optometry with at least 45% (40% in case of candidates belonging to reserved category) marks or equivalent with relevant subjects from a recognized University. The subject to the concerned relevant regulatory body (OCI) shall be adhered to.
6.	**Seats**	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
7.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1. preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body shall be adhered to

		in the matter of admission, eligibility etc.
8.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
9.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
10.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for

		admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
11.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
12.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No. 2.Subsection 12(i) of the University.
13.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
14.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No. 2 of the University.
15.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No. 2 of the University.
16.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 56		
Master of Optometry (M.Optom)		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Master of Optometry (M.Optom)**
2.	**Faculty**	Health & Allied Sciences
3.	**Duration**	Two Years of Four Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per the norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	Bachelor Degree in Optometry or any equivalent degree from a recognized University or as may be prescribed by relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 30 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1. preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body shall be adhered to in the matters of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The

		list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proofof appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with

		the prior approval of CGPURC.
11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No. 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No. 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 65		
Bachelor of Science (B.Sc.) in (Cardiac Technology/ Medical Microbiology/ Medical Pharmacology/ Public Health or as per the subject mentioned in statute 12(8).)		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Bachelor of Science (B.Sc.) in** (Cardiac Technology/ Medical Microbiology/ Medical Pharmacology/ Public Health or as per the subject mentioned in statute 12(8).)
2.	**Faculty**	Health & Allied Sciences
3.	**Duration**	Three Years of Six Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	10+2 with science subjects or equivalent from a recognized Board or as per norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Lateral Entry**	Candidate must have passed Diploma in relevant subjects of Health & Allied sciences with at least 45% (40% in case of candidates belonging to reserved category) marks or equivalent with relevant subjects from a recognized University, , in which case the later shall prevail.
7.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1 preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body shall be adhered to

		in the matter of admission, eligibility etc.
8.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
9.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
10.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for

		admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
11.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
12.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
13.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
14.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
16.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 66		
Master of Science (M.Sc.) in (Cardiac Technology/ Medical Microbiology/ Medical Pharmacology/ Public Health or as per the subject mentioned in statute 12(8))		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Master of Science (M.Sc.) in** (Cardiac Technology/ Medical Microbiology/ Medical Pharmacology/ Public Health or as per the subject mentioned in statute 12(8))
2.	**Faculty**	Health & Allied Sciences
3.	**Duration**	Two Years of Four Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per norms of relevant regulatory body, , in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	Bachelor degree with relevant subject or equivalent from a recognized University or as per norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 30 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1 preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board

		of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.

10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 71		
Bachelor of Education (B. Ed)		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Bachelor of Education (B. Ed)**
2.	**Faculty**	Education/Teacher Training
3.	**Duration**	Two Years of Four Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	Bachelor Degree or equivalent from a recognized University or as per norms of relevant regulatory body (NCTE), in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 50 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1 preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit

		for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.

11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 73		
Master of Education (M. Ed.)		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Master of Education (M. Ed.)**
2.	**Faculty**	Education/Teacher Training
3.	**Duration**	Two Years of Four Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	B.Ed. or equivalent from a recognized University or as per norms of relevant regulatory body (NCTE), in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 50 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1 preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit

		for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.

11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 78		
Bachelor of Physical Education (BPEd)		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Bachelor of Physical Education (BPEd)**
2.	**Faculty**	Education/Teacher Training
3.	**Duration**	Two Years of Four Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	Bachelor Degree or equivalent from a recognized University. The norms laid down by NCTE shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 50 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1 preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body (NCTE) shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit

		for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.

11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 81		
Bachelor of Physical Education and Sports (BPES)		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Bachelor of Physical Education and Sports (BPES)**
2.	**Faculty**	Education/Teacher Training
3.	**Duration**	Three Years of Six Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	10+2 or equivalent from a recognized Board or as per norms of relevant regulatory body (NCTE), in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 50 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1 preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website.

		Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.

11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 82		
Master of Physical Education and Sports (MPES)		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Master of Physical Education and Sports (MPES)**
2.	**Faculty**	Education/Teacher Training
3.	**Duration**	Two Year of Four Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	B.P.E.S. or equivalent from a recognized University or as per norms of relevant regulatory body (NCTE), in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 50 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1 preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit

		for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.

11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 83		
Bachelor of Law (LLB)		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Bachelor of Law (LLB)**
2.	**Faculty**	Law
3.	**Duration**	Three Years of Six Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	Bachelor Degree or equivalent from a recognized University or as per norms of relevant regulatory body (BCI), in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1 preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit

		for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.

11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 84		
Master of Law (LLM)		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Master of Law (LLM)**
2.	**Faculty**	Law
3.	**Duration**	Two Years of Four Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	LLB or equivalent with relevant subjects from a recognized University or as per norms of relevant regulatory body (BCI), in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 30 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1 preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body (BCI) shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The

		list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with

		the prior approval of CGPURC.
11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 85		
Bachelor of Arts & Bachelor of Law (Integrated) (B.A. LL.B.)		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Bachelor of Arts & Bachelor of Law (Integrated) (B.A.LL.B.)**
2.	**Faculty**	Law
3.	**Duration**	Five Years of Ten Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	10+2 or equivalent from a Recognized Board or as per norms of relevant regulatory body (BCI), in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government related to admission and reservations will be followed the norms of relevant regulatory body (BCI) shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The

		list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with

		the prior approval of CGPURC.
11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 86		
Bachelor of Commerce &Bachelor of Law (Integrated) (B.Com. LL.B.)		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Bachelor of Commerce & Bachelor of Law (Integrated) (B.Com. LL.B.)**
2.	**Faculty**	Law
3.	**Duration**	Five Years of Ten Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per norms of relevant regulatory body.
4.	**Eligibility**	10+2 or equivalent from a recognized Board or as per norms of relevant regulatory body (BCI), in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government related to admission and reservations will be followed the norms of relevant regulatory body (BCI) shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit

		for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.

11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 87		
Bachelor of Business Administration & Bachelor of Law (Integrated) (B.B.A. LL.B.)		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Bachelor of Business Administration & Bachelor of Law (Integrated) (B.B.A. LL.B.)**
2.	**Faculty**	Law
3.	**Duration**	Five Years of Ten Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	10+2 or from a recognized Board or as per norms of relevant regulatory body (BCI), in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1. preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed the norms of relevant regulatory body (BCI) shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The

		list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with

		the prior approval of CGPURC.
11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 89		
Bachelor of Vocation (B.Voc.) in (Cookery/ Cosmetic & Lifestyle Product Designing/ Craft Course in Food/ Customer Care Executive (Call center)/ Dairy Science and Technology/ Dark Room Assistant/ Data Entry Operator or as subject mentioned in Statute No. 12 (11))		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Bachelor of Vocation** **(B.Voc.)** (Cookery/ Cosmetic & Lifestyle Product Designing/ Craft Course in Food/ Customer Care Executive (Call center)/ Dairy Science and Technology/ Dark Room Assistant/ Data Entry Operator or as subject mentioned in Statute No. 12 (11))
2.	**Faculty**	Vocational Education/Skill Development.
3.	**Duration**	Three Years of Six Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	10+2 or equivalent from a recognized Board or as per norms of relevant regulatory body (UGC), in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Lateral Entry**	Candidate must have passed Diploma in Vocation with at least 45% (40% in case of candidates belonging to reserved category) marks or equivalent with relevant subjects from a recognized University or as per norms of relevant regulatory body.
7.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1 preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the

		Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
8.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
9.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
10.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission.

		4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
11.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
12.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
13.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
14.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
16.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 90		
Master of Vocation (M.Voc.) in (Cookery/ Cosmetic & Lifestyle Product Designing/ Craft Course in Food/ Customer Care Executive (Call center)/ Dairy Science and Technology/ Dark Room Assistant/ Data Entry Operator or as subject mentioned in Statute No. 12 (11))		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Master of Vocation (M.Voc.) in** (Cookery/ Cosmetic & Lifestyle Product Designing/ Craft Course in Food/ Customer Care Executive (Call center)/ Dairy Science and Technology/ Dark Room Assistant/ Data Entry Operator or as subject mentioned in Statute No. 12 (11))
2.	**Faculty**	Vocational Education/Skill Development.
3.	**Duration**	Two Years of Four Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	B.Voc. or equivalent with relevant subjects from a recognized University or as per norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 30 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1 preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body (UGC) shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.

7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed.

		Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 91		
Diploma Course in (Cookery/ Cosmetic & Lifestyle Product Designing/ Craft Course in Food/ Customer Care Executive (Call center)/ Dairy Science and Technology/ Dark Room Assistant/ Data Entry Operator or as subject mentioned in Statute No. 12 (11))		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Diploma Course in** (Cookery/ Cosmetic & Lifestyle Product Designing/ Craft Course in Food/ Customer Care Executive (Call center)/ Dairy Science and Technology/ Dark Room Assistant/ Data Entry Operator or as subject mentioned in Statute No. 12 (11))
2.	**Faculty**	Vocational Education/Skill Development.
3.	**Duration**	Two Years of four Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	10+2 from a recognized Board or as per the norms of relevant regulatory body (UGC), in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1 preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to

		June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the

		University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 94		
Diploma in Special Education (D.Ed.Spl.Ed.) in (Hearing Impairment/ Intellectual Disability/ Medical Retardation or as subject mentioned in Statute 12(12))		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Diploma in Special Education (D.Ed.Spl.Ed.)** (Hearing Impairment/ Intellectual Disability/ Medical Retardation or as subject mentioned in Statute 12(12))
2.	**Faculty**	Rehabilitation Sciences.
3.	**Duration**	Two Years of Four Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	10+2 or equivalent from a recognized Board or as per norms of relevant regulatory body (RCI), in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 25 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1 preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body (RCI) shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.

8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents

		and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 95		
Bachelor of Education-Special Education (B.Ed.Spl.Ed.) in (Hearing Impairment/ Intellectual Disability/ Medical Retardation or as subject mentioned in Statute 12(12))		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Bachelor of Education-Special Education (B.Ed.Spl.Ed.) in** (Hearing Impairment/ Intellectual Disability/ Medical Retardation or as subject mentioned in Statute 12(12))
2.	**Faculty**	Rehabilitation Sciences.
3.	**Duration**	Two Years of Four Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	Bachelor Degree or equivalent from a recognized University or as per norms of relevant regulatory body (RCI), in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 25 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1 preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body (RCI) shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.

8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents

		and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 125		
Bachelor of Science (Nursing) **(B.Sc. (Nursing))**		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Bachelor of Science (Nursing)** **B.Sc. (Nursing)**
2.	**Faculty**	Nursing/ Paramedical
3.	**Duration**	Four Years of Eight Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per the norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	10+2 with Science Subjects or equivalent from a recognized Board or fulfills eligible conditions as laid down by (INC) concerned regulatory body, in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1. preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit

		for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.

11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 126		
Post Basic Bachelor of Science (Nursing) **P.B. B.Sc (Nursing)**		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Post Basic Bachelor of Science (Nursing)** **P.B. B.Sc (Nursing)**
2.	**Faculty**	Nursing/ Paramedical
3.	**Duration**	Two Years of Four Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per the norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	10+2 with Science Subjects or equivalent with from a recognized Board or fulfills eligible conditions as laid down by (INC) concerned regulatory body, in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1. preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The

		list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with

		the prior approval of CGPURC.
11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 127		
Master of Science (Nursing) (M.Sc.(Nursing)) in (Medical Surgical Nursing/ Obstetrics and Gynecology Nursing/ Pediatric Nursing/ Psychiatric Nursing/ Community Health Nursing)		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Master of Science (Nursing) (M.Sc.(Nursing)) in** (Medical Surgical Nursing/ Obstetrics and Gynecology Nursing/ Pediatric Nursing/ Psychiatric Nursing/ Community Health Nursing)
2.	**Faculty**	Nursing/ Paramedical
3.	**Duration**	Two Years of Four Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per the norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	Bachelor Degree in Nursing or any equivalent degree from a recognized University or as may be prescribed by relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1. preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.

8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents

		and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE –128		
Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT)		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT)**
2.	**Faculty**	Nursing/ Paramedical
3.	**Duration**	Two Years of Four Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per the norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	10+2 with Science Subjects or equivalent with from a recognized Board or fulfills eligible conditions as laid down by concerned regulatory body. in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1. preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board

		of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.

10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 129		
Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology **B.Sc. (MLT)**		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology** **B.Sc. (MLT)**
2.	**Faculty**	Nursing/ Paramedical
3.	**Duration**	Three Years and Six Month of Seven Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per the norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	10+2 with Science Subjects or equivalent with from a recognized Board or fulfills eligible conditions as laid down by concerned regulatory body, in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1. preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.

8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents

		and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 130		
Bachelor of Technology (Part-Time, Weekend Program) **B.Tech (Part-Time, Weekend Program)** (Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Computer Science Engineering or subject mentioned in Statute no. 12(4))		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Bachelor of Technology (Part-Time, Weekend Program)** **B.Tech (Part-Time, Weekend Program)** (Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Computer Science Engineering or subject mentioned in Statute no. 12(4))
2.	**Faculty**	Engineering
3.	**Duration**	Five Year of Ten Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per the norms of relevant regulatory body (AICTE), in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	10+2 with Science Subjects or equivalent with relevant subjects from a recognized Board or fulfills eligible conditions as laid down by concerned regulatory body. Minimum of Two years Full Time work experience in a registered firm/ Company/ Industry/ Educational and/ Government, Autonomous Organizations in the relevant field in which admission is sought or as per the norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
5.	**Lateral Entry**	In 3rd Semester (2nd Year). Candidate must have passed Diploma in Engineering with at least 45% (40% in case of candidates belonging to reserved category) marks or equivalent with relevant subjects from a

		recognized University. Minimum of Two years Full Time work experience in a registered firm/ Company/ Industry/ Educational and/ Government, Autonomous Organizations in the relevant field in which admission is sought. The subject to the concerned relevant regulatory body (AICTE) shall be adhered to.
6.	**Seats**	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
7.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1. preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body (AICTE) shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
8.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
9.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.

10.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
11.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
12.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No. 2.Subsection 12(i) of the University.
13.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
14.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No. 2 of the University.
15.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No. 2 of the University.
16.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur.

		Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 131		
Master of Technology (Part-Time, Weekend Program) **M.Tech (Part-Time, Weekend Program)** (Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Computer Science Engineering or subject mentioned in Statute no. 12(4))		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Master of Technology (Part-Time, Weekend Program)** **M.Tech (Part-Time, Weekend Program)** (Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Computer Science Engineering or subject mentioned in Statute no. 12(4))
2.	**Faculty**	Engineering
3.	**Duration**	Three Year of Six Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per the norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	Must have passed Graduation in Engineering/ Post Graduate in Science or equivalent examination from any institute University or equivalent there to in any discipline or as per the norms of relevant regulatory body (AICTE), in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 18 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1. preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body (AICTE) shall be adhered to in the matter of admission,

		eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for

		admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No. 2.Subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No. 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No. 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 132		
Diploma in Engineering (Part-Time, Weekend Program) in (Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Computer Science Engineering or subject mentioned in Statute no. 12(4))		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Diploma in Engineering (Part-Time, Weekend Program)** (Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Computer Science Engineering or subject mentioned in Statute no. 12(4))
2.	**Faculty**	Engineering
3.	**Duration**	Four Years of Eight Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per the norms of relevant regulatory body(AICTE), in which case the later shall prevail..
4.	**Eligibility**	10^{th} and Minimum of Two Years Full Time work experience in a registered firm / Company/ Industry/ Educational/ and/ Government, Autonomous Organizations in the relevant field in which admission is sought or as per the norms of relevant regulatory body (AICTE), in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 60 seats multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Lateral Entry**	In 3^{rd} semester (2^{nd} year). Candidate must 10+2 or equivalent with science subjects or passed ITI with at least 45% (40% in case of candidates belonging to reserved category) marks or equivalent with relevant subjects from a recognized University.
7.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1. preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the

		Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body (AICTE) shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
8.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
9.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
10.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission.

		4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
11.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
12.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No. 2.Subsection 12(i) of the University.
13.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
14.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No. 2 of the University.
15.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No. 2 of the University.
16.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 133		
Master of Business Administration (Part-Time, Weekend Program) **MBA (Part-Time, Weekend Program)** (Interactional Business, Security and Portfolio Management, Rural Management, Construction Management, Small Business Management or subject mentioned in Statute 12(2))		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Master of Business Administration (Part-Time, Weekend Program)** **MBA (Part-Time, Weekend Program)** (Interactional Business, Security and Portfolio Management, Rural Management, Construction Management, Small Business management or subject mentioned in Statute 12(2))
2.	**Faculty**	Management
3.	**Duration**	Two Years and Six Months of Five Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program or as per the norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	Must have passed Graduation in any subjects or equivalent from any institute University or equivalent in any discipline or as per the norms of relevant regulatory body (AICTE), in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1. preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body (AICTE) shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.

7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed.

		Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No. 2.Subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No. 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No. 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 134		
Bachelor of Education(Part-Time, Weekend Program) **B.Ed. (Part-Time, Weekend Program)**		
S.No.	**Particular**	**Specification**
1.	**Title**	**Bachelor of Education (Part-Time, Weekend Program)** **B.Ed. (Part-Time, Weekend Program)**
2.	**Faculty**	Education/Teacher Training
3.	**Duration**	Three Years of Six Semesters. Maximum permissible period required for completing the program shall be (n+2) years where "n" is the total number of years prescribed for the program (or (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program) or as per the norms of relevant regulatory body, in which case the later shall prevail.
4.	**Eligibility**	Bachelor degree in any subjects or equivalent from any University or as per the norms of relevant regulatory body(NCTE), in which case the later shall prevail.
5.	**Seats**	The basic unit will be of 50 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6.	**Admission Procedure**	As specified in Ordinance No. 1. preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh. Guidelines issued by the Higher Education Department, Chhattisgarh Government relating to admission and State reservation policy will be followed. The norms of relevant regulatory body (AICTE) shall be adhered to in the matter of admission, eligibility etc.
7.	**Academic Year**	There shall be two academic cycles one from July to December and another from January to June.
8.	**Selection Procedure**	The University shall issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media

		before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website. Selected candidates will be informed directly about their admission. The list of the selected candidates will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce the proof of appearing in the qualifying examination. Provided that, if the candidate fails to clear the qualifying exam matching with required percentage, his/her admission shall be treated as cancelled. Provided further that, all enrolled candidates must submit mark sheet of qualifying examination before the submission of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed for admissions.
9.	**Cancellation of Admission**	Admission of a student may be cancelled due to any one or more under mentioned reasons: 1. At any stage, if a student is found not qualified for the Programme, as per Government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement of the student in gross indiscipline in the University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used improper means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. Note: Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fees.
10.	**Fees**	The course fees will be as decided by the

		Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11.	**Course Structure and Examination Scheme**	As per Ordinance No. 2.Subsection 12(i) of the University.
12.	**Eligibility to Pass**	As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council of the University.
13.	**Evaluation and Examination**	As per Ordinance No. 2 of the University.
14.	**Eligibility Criteria for ATKT**	As per Ordinance No. 2 of the University.
15.	**General**	Detailed syllabus of each subject shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) and will follow norms and standards of relevant regulatory body.

ORDINANCE – 135

Doctor of Philosophy (Part-Time) (Ph.D.(Part-Time))

1. Eligibility criteria for admission to Ph.D. (Part Time) programme:

Subject to the conditions stipulated in this Ordinance the following persons are eligible to seek admission to the part time Ph.D. Programme:

i. Candidates for admission to the Ph.D.(Part Time) programme shall have minimum of two years teaching experience with Master's Degree or Professional Degree declared equivalent to the master's degree by the corresponding statutory regulatory body with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' UGC 7- point scale (or an equivalent grade in point scale wherever grading system is followed) or an equivalent degree from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in the country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions. A relaxation of 5% of marks, from 55% to 50% or an equivalent relaxation of grade may be allowed to those belonging to SC/ST/OBC (non creamy layer & disabled) differently-able and other categories of candidates as per the decision of the commission from time to time orfor those who had obtained their master's degree prior to 19th September 1991. The eligibility marks of 55% (or an equivalent grade in point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible based only on the qualifying marks without including the grace mark procedures.

ii. Candidates who have cleared the M.Phil course work with at least 55%, marks in aggregate or its equivalent grade "B' in the UGC 7-Point scale (or an equivalent grade in a point scale where grading system is followed) and successfully completing the M.Phil Degree shall be eligible to proceed to do research work leading to the Ph.D. (Part Time) Degree in the same Institution in an integrated Programme.

iii. A person whose M.Phil dissertation has been evaluated and the viva voce is pending shall be eligible for the Ph.D. (Part Time) programme of the same institution.

iv. Candidates possessing a Degree considered equivalent to M.Phil Degree of an Indian Institution, from a foreign Educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing. Accrediting or assuring quality and standards of educational institutions shall be eligible for admission to Ph.D. (Part Time) programme.

2. Duration of the Programme :

i. Ph.D. (Part Time) programme shall be for a minimum duration of the four years including course work and a maximum of seven years.

ii. Extension beyond the above limits will be given in exceptional cases on the recommendation of Research Advisory Committee and approval by the Academic council.

iii. The women candidates and persons with disability (more than 40% disability) may be allowed relaxation of two years Ph.D. (Part Time) in the maximum duration. In addition, the women candidates may be provided Maternity Leave Child Care Leave Once in the entire duration of Ph.D. (Part Time) for up to 240 days.

3. Procedure for admission:

i. University shall admit Ph.D. students through an Entrance Test conducted by it. The Academic Council of the University shall decide separate terms and conditions for those students who qualify UGC-NET (including JRF) UGC-CSIR NET (including JRF) SLET GATE teacher fellowship holder or have passed M.Phil programme.

ii. The University shall:

a) Decide on an annual basis through its Academic Council. A predetermined and manageable number of Ph.D. (Part Time) scholar to be admitted depending on the number of available Research Supervisor and other academic and physical facilities, keeping in mind the norms regarding the scholar teacher ratio (as indicated in Para 4.5) laboratory, Library and such other facilities.

b) Notify well in advance in the institutional website and through advertisement in at least two (2) national newspapers of which at least one (1) shall be in the regional language the number of seats for admission. Subject discipline wise distribution of available seats criteria for admission procedure for admission examination centre(s) where entrance test(s) shall be conducted and all other relevant information for the benefit of the candidates.

c) Adhere to the national state-level reservation policy as applicable.

iii. The admission shall be based on the criteria notified by the University keeping in view the guidelines/norms in this regard issued by the UGC and other statutory bodies concerned and taking into account the reservation policy of the Central/State Government from time to time.

iv. The University shall admit candidates by a two stage process through

a) An Entrance Test shall be qualified with qualifying marks as 50%. The syllabus of the entrance test shall consist of 50% of Research Methodology and 50% shall be subject specific. The entrance Test shall be conducted at the Centre(s) notified in advance (changes of Centre, if any also to be notified well in advance) and;

b) An interview viva-voce to be organized by the University to judge the candidate's research interest/area through a presentation before a duly constituted Departmental Research Committee.

v. The interview/viva voce shall also consider the following, aspect, vizweather.

a) The candidate possesses the competence for the proposed research;

b) The research work can be suitably undertaken at the institution college

c) The proposed area of research can contribute to new additional knowledge.

vi. The University shall maintain the year wise list of the Ph.D. (Part Time) registered students on its website. The list shall include the name of the

registered candidate's topic of his/her research, name of his/her supervisor/co-supervisor and the date of enrolment registration.

4. Allocation of Research Supervisor: Eligibility criteria to be a Research Supervisor, Co-Supervisor, Number of Ph.D. (Part Time) scholars permissible per Supervisor etc.

   i. Any regular Professor of the University with at least five research publications in refereed journals and any regular Associate/Assistant Professor of the University with Ph.D. Degree having at least two research publication in refereed journal may be recognized as research supervisor. Provided that in areas/ disciplines where there is no or only a limited number of refereed journals, the University may relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor with reasons recorded in writing.

   ii. Only a full time regular teacher of the concerned University can act as supervisor, the external supervisor is not allowed. However co-supervisor is allowed in inter-disciplinary areas from other department of the same Institute or from other related institutions outside University/Institutions with the approval of the Research Advisory Committee.

   iii. The allocation of Research supervisor for a selected research scholar shall be decided by the Department concerned depending on the number of scholar per research supervisor the available specialization among the Supervisor's and research interests of the scholars as indicated by them at the time of interview viva voce.

   iv. In case of topic which is of inter-disciplinary nature where the Department concerned feels that the expertise in the Department has to be supplemented from outside the Department may appoint a Research Supervisor from the Department itself. Who shall be known as the Research Supervisor and a Co-supervisor from outside the Department faculty college institution on such terms and conditions as may be specified and agreed upon by the consenting institutions colleges.

   v. A research supervisor/Co-supervisor who is a professor at any given point of time, cannot guide more than Eight (8) Ph.D. (Part Time) Scholars including regular Ph.D. Scholar. An Associate Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of six (06) Ph.D. (Part Time) scholars and an Assistant Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of four (04) Ph.D. (Part Time) scholars. The number includes regular Ph.D. scholar and part time Ph.D. Scholar.

   vi. In case of relocation of Ph.D. (Part Time)woman scholar due to marriage or otherwise the research data shall be allowed to be transferred to the University to which the scholar intends to relocate provided all the other conditions in these regulations are followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the project secured by the parent institution supervisor from any funding agency the scholar will however give due credit to the parent guide and the institution for the part of research already done.

5. Course work: credit Requirements number duration syllabus minimum standards for completion etc.

   i. The credit assigned to the Ph.D. (Part Time) course work shall be a minimum of 08 credits and a maximum of 16 credits.

ii. The course work shall be treated as prerequisite for Ph.D. (Part Time) preparation. A minimum of four credit shall be assigned to one or more courses on Research Methodology which could cover areas such as Quantitative Methods, Computer Applications, Research Ethics and Review of published research in the relevant field, training field work etc., other courses shall be advanced level courses preparing the students for Ph.D. (Part Time) degree.

iii. All course prescribed for Ph.D. (Part Time) course work shall be in conformity with the credit hour instructional requirement and shall specify content, instructional and assessment methods they shall be duly approved by the authorized academic bodies.

iv. The department where the scholar pursues his/her research shall prescribe the course(s) to him/her based on the recommendations of the Research Advisory Committee as stipulated under sub-Clause 8.1 below of the research scholar.

v. All candidates admitted to the Ph.D. (Part Time) programmes shall be required to complete the course work prescribed by the department daring the initial one or two semesters.

vi. Candidates already holding M.Phil. degree and admitted to the Ph.D. (Part Time) programme or those who have already completed the course work in have been permitted to proceed to the Ph.D., in integrated course may be exempted by the Department from the Ph.D Course work. All other candidates admitted to the Ph.D. (Part Time) Programme shall be required to complete the Ph.D. (Part Time) course work prescribed by the Department.

vii. Grades in the course work including research methodology courses shall be finalized after a combined assessment by the Research Advisory committee and the Department and the final grades shall be communicated to the institution college.

viii. A Ph.D. (Part Time) scholar has to obtain a minimum of 55% marks or its equivalent grade in the UGC 7-point scale in the course work in order to be eligible to continue in the programme and submit the dissertation thesis.

6. Research Advisory Committee and its functions:

i. There shall be research Advisory Committee for each Ph.D. (Part Time) scholar consisting of the following member.

a) Vice-Chancellor or his nominee.

b) Head of the Institute of the concerned faculty.

c) Head of University Teaching Department in the subject.

d) Chairman board of studies in the subject.

e) One external subject expert of the rank of University Professor to be appointed by the Vice-Chancellor ordinarily out of a panel of 5 experts given by the Chairman of the Board of Studies. The external expert and two other members shall form the quorum.

Note:

- On the request of supervisor (s) vice-chancellor may permit him to the present as an observer during the oral presentation of his candidate in RDC meeting.

- No T.A. & D.A. shall be payable to the candidate and the supervisor for attending the Research Degree Committee meeting.

The Research supervisor of the scholar shall be the Convener of this committee. This Committee shall have following responsibilities.

ii. A research scholar shall appear before the research Advisory Committee once in six months to make a presentation of the progress of his/her work for evaluation and further guidance. The six monthly progress reports shall be submitted by the research Advisory committee to the institution college with a copy to the research scholar.

iii. In case the progress of the research scholar is unsatisfactory the Research Advisory Committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the research scholar fails to implement these corrective measures. The research advisory committee may recommend to the University with specific reasons for cancellation of the registration of the research scholar.

7. Evaluation and Assessment Methods minimum Standards/Credits for award of the degree etc :

i. Upon satisfactory completion of course work and obtaining the marks/grade prescribed in sub-clauses 7.8 above as the case may be the Ph.D. (Part Time) scholar shall be required to undertake research work and produce a draft dissertation/thesis within a reasonable time as stipulated by the concerned Research Centre based on these Ordinances.

ii. Prior to the submission of the dissertation thesis, the scholar shall make a presentation in the Department before the Research Advisory Committee of the Institution concerned which shall also be open to all faculty members and other research scholars. The feedback and comments obtained from them may be suitably incorporated into the draft dissertation thesis in consultation with the Research Advisory committee.

iii. Ph.D. (Part Time) scholar must publish at least one (1) research paper in refereed journal and make two paper presentations in conferences/seminars before the submission of the dissertation/thesis for adjudication and produce evidence for the same in the form of presentation certificates and/or reprints.

iv. The academic council of the University shall evolve mechanism using well developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of academic dishonesty. While submitting for evaluation the dissertation thesis shall have an undertaking from the research scholar and a certificate from the research supervisor attesting to the originality of the work vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other degree/diploma of the same institution where the work was carried out or to any other institution.

v. The Ph.D. (Part Time) thesis submitted by a research scholar shall be evaluated by his/her Research supervisor and at least two external examiners who are not in employment of the University of whom one examiner may be from outside the country. The viva-voce examination based among other things, on the critiques given in the evaluation report, shall be conducted by the research supervisor and at least one of the two external examiners and shall be open to be attended by Members of the Research Advisory Committee. All faculty members of the Department, other research scholar and other interested experts/researchers.

vi. The public viva-voce of the research scholar to defend the dissertation thesis shall be conducted only if the evaluation report(s) of the external examiners(s) on the dissertation thesis is/are satisfactory and include a specific recommendation for conducting the viva- voce examination. If one of the evaluation reports of the external examiner in case of Ph.D. (Part Time) thesis is unsatisfactory and does not recommend viva-voce the University shall send the dissertation/thesis to another external examiner out of the approved panel of examiners and viva-voce examination shall be held only if the report of the latest examiner is satisfactory. If the report of latest examiners is also unsatisfactory, the dissertation/thesis shall be rejected and research scholar shall be declared in ineligible for the award of degree.

vii. The University shall develop appropriate methods so as to complete the entire process of evaluation of Ph.D. (Part Time)thesis within a period of six months from the date of submission of the thesis.

viii. All the provision of University Grants Commission (Minimum standards and procedure for aware of M.Phil/Ph.D. degrees) Regulations, 2016 and the subsequent regulations/amendment existing at the time of admission to the course shall be applicable into part time Ph.D.

2. Part-time Ph.D. (Part Time)will be allowed provided all the conditions mentioned in the extant Ph.D. (Part Time) Regulations are met.

8. Depository with INFLIBNET:

i. Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the Ph.D. (Part Time) degree, the institution concerned shall submit an electronic copy of the Ph.D. (Part Time) thesis to the INFLIBNET. For hosting the same so as to make it accessible to all institutions colleges.

ii. Prior to the actual award of the degree the University shall issue a provisional Certificate to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provision of the UGC Regulations.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.